**माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०–61/2022, ऑल इण्डिया कैमूर पिपुल्स फ्रन्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–23.03.2022 के परिवेक्ष्य में माननीय अधिकरण द्वारा गठित टीम का तत्सम्बन्ध में बिल्ली मारकुण्डी, तहसील– ओबरा, जनपद–सोनभद्र में संचालित डोलो स्टोन खनन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से सम्बन्धित आख्या :–**

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०– 61/2022 ऑल इण्डिया कैमूर पिपुल्स फ्रन्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.03.2022 का मुख्य अंश निम्नवत है :–

1. "Grievance in the application is against illegal mining on the land of check dam (Small Village Dam) nala and railway pit, within the periphery of 50 meter from the land of dam, nala and railways in village- Billi Markundi, Tahsil- Obra, District- Sonbhadra, in violation of Sustainable Sand mining Guideline and other environmental norms, including Mining Rules, 1963, by Respondents- Rajesh kumar S/o of late Kaliram, Farida Begum W/o Imtiyaz Ahmad, Chopan, District- Sonbhadra, M/s BCS Gupta, Obra, District- Sonbhadra and M/s Ishana Construction, Proprietor- Afreena Khan W/o Ishtiyaq, resident of village Billi Markundi, Obra, District- Sonbhadra, UP.
2. Let the District Magistrate, Sonbhadra, Chief Development Officer, Sonbhadra and State PCB look into the grievance and take remedial action in accordance with law, The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
3. An action taken report may be furnished within 02 month by email at judicial-ngt@gov.in. If an violation are noticed, apart from taking action in exercise of statutory powers, the said Authorities may also inform the violators about these proceeding so that they may place their viewpoint, if any, Before the Tribunal"

माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में गठित टीम के सदस्यों एवं नामित प्रतिनिधि का विवरण निम्नवत है :–

| | गठित टीम | नामित प्रतिनिधि |
|---|---|---|
| 1– | जिलाधिकारी, सोनभद्र। | अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति) |
| 2– | मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र। | (क) उपजिलाधिकारी, ओबरा<br>(ख) जिला खान अधिकारी, सोनभद्र। |
| 3– | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र। |

गठित टीम के नामित प्रतिनिधियों द्वारा माननीय अधिकरण के संदर्भित आदेश दिनांक 23.03.2022 में चिन्हित अवयस्क खनिज बिल्डिंग स्टोन (डोलो स्टोन) वाले खनन पट्टों का विवरण निम्नवत है :–

| क्र0 सं0 | पट्टेधारक का नाम | रकबा | आराजी संख्या | अवधि | प्रतिवर्ष खनिज की मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम, नि0– चोपन जनपद– सोनभद्र एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद नि0– चोपन, जनपद– सोनभद्र। | 1.85 एकड़ | 7586, 7590, 7584 | 01.12.2016 से 30.11.2026 तक | 15,000 घन मी0 |
| 2 | मे0 बी0सी0एस0 इण्टर प्राईजेज, पा0– श्री चन्द्रभूषण गुप्ता पुत्र श्री | 4.86 एकड़ | 4419ख, 4419ग, 4422क मि0, 4416क, | 26.05.2016 से | 1,00,000 घन मी0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | रामलखन गुप्ता नि0– ओबरा, जनपद– सोनभद्र एवं श्री शफीक अहमद पुत्र श्री सागीर अहमद नि0– ओबरा, जनपद– सोनभद्र। | | 7576, 7577ख, 4420मि0 | 25.05.2026 तक | |
| 3 | मे0 इशाना कन्सट्रक्शन, पा0 श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान, नि0– ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा, जनपद– सोनभद्र। | 5.80 एकड़ | 5355क, 5359, 5361, 5363क, 5351क, 5352, 5353, 5354, 5362, 5355ख, 5356, 5357ख एवं 5351ख | 27.05.2016 से 26.05.2026 तक | 40,000 घन मी0 |

गठित टीम के नामित प्रतिनिधियों द्वारा उपरोक्त संदर्भित तीनों खनन पट्टो का स्थलीय जॉच दिनांक 21.05.2022 को किया गया। स्थलीय जॉच में पाये गये तथ्यों एवं खनिज विभाग कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों को समेकित करते हुए तीनों पट्टों की पृथक–पृथक आख्या निम्नवत है :–

1– **श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम, निवासी– चोपन, जनपद– सोनभद्र एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद, नि0– चोपन, सोनभद्र।**

यह कि उक्त खनन पट्टा जनपद– सोनभद्र के तहसील– ओबरा स्थित ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी के आराजी सं0– 7586, 7590, 7584 रकबा– 1.84 एकड़ क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का दस वर्षीय खनन पट्टा दिनांक– 1.12.2016 से 30.11.2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृत/संचालित है। उक्त खनन पट्टे को संचालन से पूर्व जिला स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरण सोनभद्र से सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृत पत्रांक– 02/Parya/DEIAA/ SBR/2016 दिनांक 18.05.2016 (संलग्नक–1) द्वारा निर्गत किया गया है। गठित खनन क्षेत्रफल के विभिन्न बाहरी सीमा रेखा पर स्थापित सीमा स्तम्भ का भू–निर्देशांक निम्नवत् है :–

| क्र0 सं0 | पिलर सं0 | भू–निर्देशांक | |
|---|---|---|---|
| | | आक्षांश | देशांतर |
| 1 | A | 24°27'40.41"N | 83°01'15.47"E |
| 2 | B | 24°27'38.21"N | 83°01'20.12"E |
| 3 | C | 24°27'36.24"N | 83°01'18.28"E |
| 4 | D | 24°27'37.26"N | 83°01'15.63"E |
| 5 | E | 24°27'38.72"N | 83°01'16.90"E |
| 6 | F | 24°27'39.71"N | 83°01'14.87"E |

1) निरीक्षण के दौरान उक्त खनन पट्टे क्षेत्र में खनन कार्य बन्द पाया गया।
2) यह कि उक्त खनन क्षेत्रफल के लगभग 100 मीटर की परिधि में आबादी स्थित है।
3) यह कि उक्त खनन क्षेत्र रेलवे लाइन की सीमा से 150 मी0 की दूरी पर स्थित है।
4) यह कि उक्त खनन क्षेत्र के आस–पास में नाला दृष्टिगोचर नही है।
5) यह कि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से सटे उत्तर दिशा में आ0सं0– 7585, रकबा– 0.1010 हे0 व पट्टा क्षेत्र में मध्य में आ0सं0– 7587, रकबा– 0.0760 हे0, जो श्रेणी– 6(4) बांध खाते में अंकित है।
6) खनिज विभाग में उपलब्ध अभिलेखानुसार पूर्व में तहसीलदार (न्यायिक), राबर्ट्सगंज के संयुक्त आख्या दिनांक 09.05.2019 (संलग्नक–2) में उपरोक्त आ0सं0– 7587, 7584, 7590 में 1,821 घ0मी0 बोल्डर (डोलो स्टोन) के अवैध खनन/परिवहन के सम्बन्ध में नोटिस पत्रांक– 399 दिनांक

22.05.2019 (संलग्नक–3) द्वारा प्रेषित की गयी है। उक्त नोटिस के परिपेक्ष्य में पट्टाधारक द्वारा दिनांक 27.06.2019 को प्रत्यावेदन दिया गया था। उक्त प्रत्यावेदन के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक– 1041/खनिज/आदेश/2019 दिनांक 23.07.2019 (संलग्नक–4) द्वारा प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुये वसूली प्रमाण करने जारी करने के आदेश दिये गये है। अधिरोपित धनराशि अब तक जमा नही की गयी है। उपजिलाधिकारी, ओबरा सोनभद्र की संयुक्त जांच आख्या दिनांक– 04.02.2022 (संलग्नक–5) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में प्रतिवर्ष निर्धारित मात्रा से अधिक खनन मात्र 3,854 घ0मी0 वोल्डर का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के नोटिस पत्र सं0– 6357 दिनांक 05.03.2022 (संलग्नक–6) द्वारा को पट्टेधारक श्री राजेश कुमार व श्रीमती फरीदा वेगम को 37,49,840.00 की नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में पट्टाधारक द्वारा आरोपित धनराशि रू0 37,49,840.00, चालान सं0– C400044 दिनांक 04.04.2022 (संलग्नक–7) एवं चालान सं0– DL00107 दिनांक 21.04.2022 (संलग्नक–8) के माध्यम से जमा किया गया है।

7) जॉच/माप के दौरान खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्तर दिशा बंधी की जमीन आ0सं0– 7585, रकबा– 0.1010 हे0 में औसतन 15 मीटर गहराई में कुल 15,150 घ0मी0 बोल्डर (डोलो स्टोन) का अवैध खनन/परिवहन किया गया है तथा स्वीकृत क्षेत्र के मध्य बंधी की जमीन आ0सं0– 7587, रकवा– 0.076 हे0 में 45.50 मीटर गहराई में बोल्डर (डोलो स्टोन) का अवैध खनन/परिवहन किया गया है, जिसमें से पूर्व में इसी आ0सं0– 7587 में दो बार अवैध खनन/परिवहन का आकलन (7.50 मीटर + 18 मीटर = 25.50 मीटर) किया गया था। वर्तमान समय में आ0सं0– 7587 में 760 वर्ग मीटर x 20 मीटर = 15,200 घ0मी0 बोल्डर (डोलो स्टोन) का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

2– **मे0 बी0सी0एस0 इण्टर प्राईजेज, पा0– श्री चन्द्रभूषण गुप्ता पुत्र श्री रामलखन गुप्ता, नि0– ओबरा, जनपद– सोनभद्र एवं श्री शफीक अहमद पुत्र श्री सागीर अहमद, नि0–ओबरा, जनपद– सोनभद्र।**

यह कि उक्त खनन पट्टा जनपद– सोनभद्र के तहसील– ओबरा स्थित ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी के आराजी सं0– 4419ख, 4419ग, 4422क मि0, 4416क, 7576, 7577ख, 4420मि0, रकबा– 4.86 एकड़ क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का दस वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 26.05.2016 से 25.05.2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृत/संचालित है। उक्त खनन पट्टे को संचालन से पूर्व जिला स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरण सोनभद्र से सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृत पत्रांक– 22/Parya/DEIAA/ SBR/2016 दिनांक 18.05.2016 (संलग्नक–9) द्वारा निर्गत किया गया है। गठित खनन क्षेत्रफल के विभिन्न बाहरी सीमा रेखा पर स्थापित सीमा स्तम्भ का भू–निर्देशांक निम्नवत् है :–

| क्र0 सं0 | पिलर सं0 | भू–निर्देशांक | |
|---|---|---|---|
| | | आक्षांश | देशांतर |
| 1 | A | 24°27'45.46"N | 83°01'17.20"E |
| 2 | B | 24°27'44.82"N | 83°01'19.36"E |
| 3 | C | 24°27'39.79"N | 83°01'17.83"E |
| 4 | D | 24°27'40.42"N | 83°01'15.46"E |
| 5 | E | 24°27'40.10"N | 83°01'13.78"E |
| 6 | F | 24°27'39.69"N | 83°01'14.87"E |
| 7 | G | 24°27'38.71"N | 83°01'16.90"E |
| 8 | H | 24°27'37.61"N | 83°01'15.62"E |

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 9 | I | 24°27'38.48"N | 83°01'13.98"E |
| 10 | J | 24°27'38.48"N | 83°01'13.79"E |
| 11 | K | 24°27'39.52"N | 83°01'11.92"E |

1) निरीक्षण दिनांक को उक्त खनन पट्टे क्षेत्र में खनन कार्य वन्द पाया गया।
2) यह कि रेलवे लाईन की सीमा से 43 मीटर की दूरी पर लगभग 10 वर्ष पूर्व श्री सत्यजीत कुमार पुत्र नागेश्वर मंडल, नि0– ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी, परगना– अगोरी, जनपद– सोनभद्र के पक्ष में आ0सं0– 7576, 7577, रकबा– 2.77 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 30.10.2001 से 29.10.2011 तक खनन पट्टा स्वीकृत था, का खनन क्षेत्र स्थित है, जिसमें खनन कार्य नही हो रहा है तथा वर्तमान में रेलवे लाइन की सीमा से 43 मीटर + 11 मीटर = 54 मीटर दूरी पर मे0 वी0सी0एस0 इण्टर प्राईजेज का खनन पट्टा क्षेत्र स्थित है, जिसमें खान सुरक्षा अधिनियम– 1952 की धारा– 22(3) के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्य किया जा रहा है।
3) यह कि उक्त खनन क्षेत्र के आस–पास में कोई नाला दृष्टिगोचर नही है।
4) यह कि पूर्व में मे0 बी0सी0एस0 इण्टर प्राईजेज में उपजिलाधिकारी ओबरा, सोनभद्र के संयुक्त आख्या दिनांक 04.02.2022 (संलग्नक–10) में उपरोक्त खनन क्षेत्र में 2,739 घन मी0 गिट्टी/डोलो स्टोन अवैध खनन के सापेक्ष रू0 26,79,440.00, चालान सं0– CF00068 दिनांक 15.03.2022 (संलग्नक–11) एवं चालान सं0– CM00034 दिनांक 22.03.2022 (संलग्नक–12) के माध्यम से जमा किया गया है।

3– **मे0 इशाना कन्सट्रक्शन, पा0– श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान, नि0– ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा, जनपद– सोनभद्र।**

यह कि उक्त खनन पट्टा जनपद– सोनभद्र के तहसील– ओबरा स्थित ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी के आराजी सं0– 4419ख, 4419ग, 4422क मि0, 4416क, 7576, 7577ख, 4420मि0, रकबा– 5.80 एकड़ क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का दस वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 27.05.2016 से दिनांक 26.05.2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृत/संचालित है। उक्त खनन पट्टे के संचालन से पूर्व जिला स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरण सोनभद्र से सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृत पत्रांक– 12/Parya/DEIAA/SBR/2016 दिनांक 18.05.2016 (संलग्नक–13) द्वारा निर्गत किया गया है। गठित खनन क्षेत्रफल के विभिन्न बाहरी सीमा रेखा पर स्थापित सीमा स्तम्भ का भू–निर्देशांक निम्नवत् हैं :–

| क्र0 सं0 | पिलर सं0 | भू–निर्देशांक | |
|---|---|---|---|
| | | आक्षांश | देशांतर |
| 1 | A | 24°28'47.16"N | 83°00'21.40"E |
| 2 | B | 24°28'47.47"N | 83°00'23.78"E |
| 3 | C | 24°28'48.56"N | 83°00'23.44"E |
| 4 | D | 24°28'48.75"N | 83°00'24.14"E |
| 5 | E | 24°28'48.44"N | 83°00'24.79"E |
| 6 | F | 24°28'46.61"N | 83°00'24.81"E |
| 7 | G | 24°28'44.61"N | 83°00'27.86"E |
| 8 | H | 24°28'43.02"N | 83°00'25.00"E |
| 9 | I | 24°28'41.53"N | 83°00'25.67"E |
| 10 | J | 24°28'41.50"N | 83°00'24.24"E |
| 11 | K | 24°28'42.45"N | 83°00'23.61"E |
| 12 | L | 24°28'42.37"N | 83°00'24.18"E |
| 13 | M | 24°28'42.80"N | 83°00'24.59"E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | N | 24°28'43.68"N | 83°00'24.41"E |
| 15 | O | 24°28'44.51"N | 83°00'19.27"E |

1) निरीक्षण दिनांक को उक्त खनन पट्टे क्षेत्र में खनन कार्य किया जाना पाया गया।
2) यह कि उक्त खनन क्षेत्र के 50 मीटर की परिधि में रेलवे लाईन, नाला एवं चेक डैम स्थित नहीं है।
3) यह कि उक्त खनन क्षेत्रफल की सीमा में आ0सं0– 5362, राजस्व अभिलेख में श्रेणी 6–4, बांध के नाम से दर्ज है, जो जिलाधिकारी महोदय के प्रस्ताव पर शासनादेश सं0– 2905/86–2015–236/2015 दिनांक 25.08.2015 (संलग्नक–14) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
4) यह है कि मे0 इशाना कन्सट्रक्शन में उपजिलाधिकारी ओबरा, सोनभद्र के संयुक्त आख्या दिनांक 04.02.2022 (संलग्नक–15) में उपरोक्त खनन क्षेत्र में 817 घन मी0 गिट्टी/डोलो स्टोन अवैध खनन के सापेक्ष रू0 8,34,320.00, चालान सं0– CN00059 दिनांक– 23.02.2022 (संलग्नक–16) द्वारा जमा किया गया है। खान अधिकारी सोनभद्र की संयुक्त जांच आख्या दिनांक 01.05.2022 (संलग्नक–17) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर दक्षिण दिशा की तरह आ0सं0–5363 में मात्रा–15,732 घन मी0 बोल्डर का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। दिनांक 05.05.2022 को पट्टेधारिका मे0 इशाना कन्सट्रक्शन, श्रीमती आफरीना खान को रू0 1,19,99,000.00 की नोटिस दिया गया है (संलग्नक–18)। दिनांक 07.05.2022 को थाना–ओबरा, सोनभद्र में उपरोक्त अवैध खनन/परिवहन के मामले में पट्टेधारिका व अन्य अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0– 83/2022 दर्ज करायी गयी है (संलग्नक–19)।

**–: संस्तुति :–**

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली में याची द्वारा अभिकथित बिन्दुओं के दृष्टिगत मे0 श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम, नि0–चोपन जनपद–सोनभद्र एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद नि0–चोपन, जनपद–सोनभद्र द्वारा बंधी की जमीन पर कुल 30,350.00 घ0मी0 बोल्डर (डोलो स्टोन) का अवैध खनन/परिवहन के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।
2. मे0 श्री राजेश कुमार, मे0 बी0सी0एस0 इण्टर प्राईजेज, पा0–श्री चन्द्रभूषण गुप्ता तथा मे0 इशाना कन्सट्रक्शन, पा0–श्रीमती आफरीना खान द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा व सीमा के बाहर में अवैध खनन/परिवहन किये जाने के सम्बन्ध में अधिरोपित अर्थदण्ड के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

21.05.22
खान अधिकारी,
सोनभद्र।

21/05/2022
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

उपजिलाधिकारी,
ओबरा, सोनभद्र।

21/5/22
अपर जिलाधिकारी,
(नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति)
सोनभद्र।

# नजरी नक्शा (काल्पनिक)

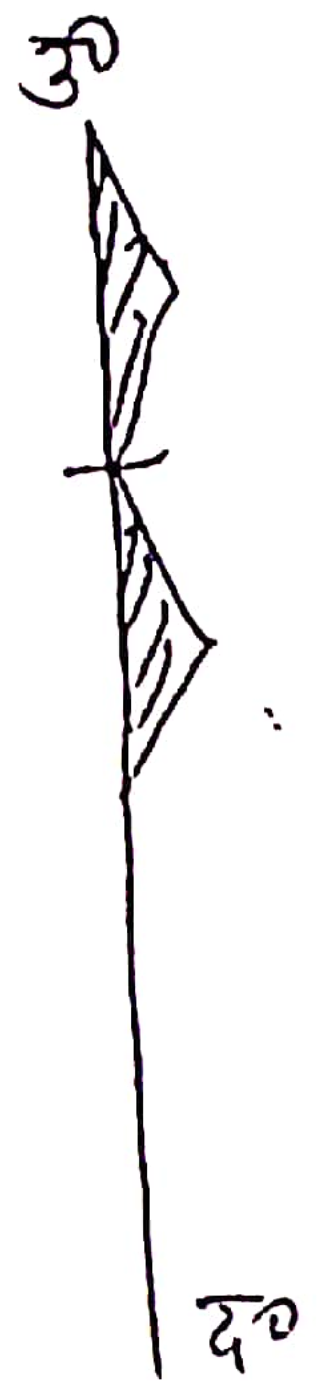


बी०सी०एल० खदान

राजेश कुमार व फरीदा कुमार खदान

ग्राम - बिल्ली मारकुण्डी

परगना - अगोरी

तहसील - ओबरा

जिला - सोनभद्र

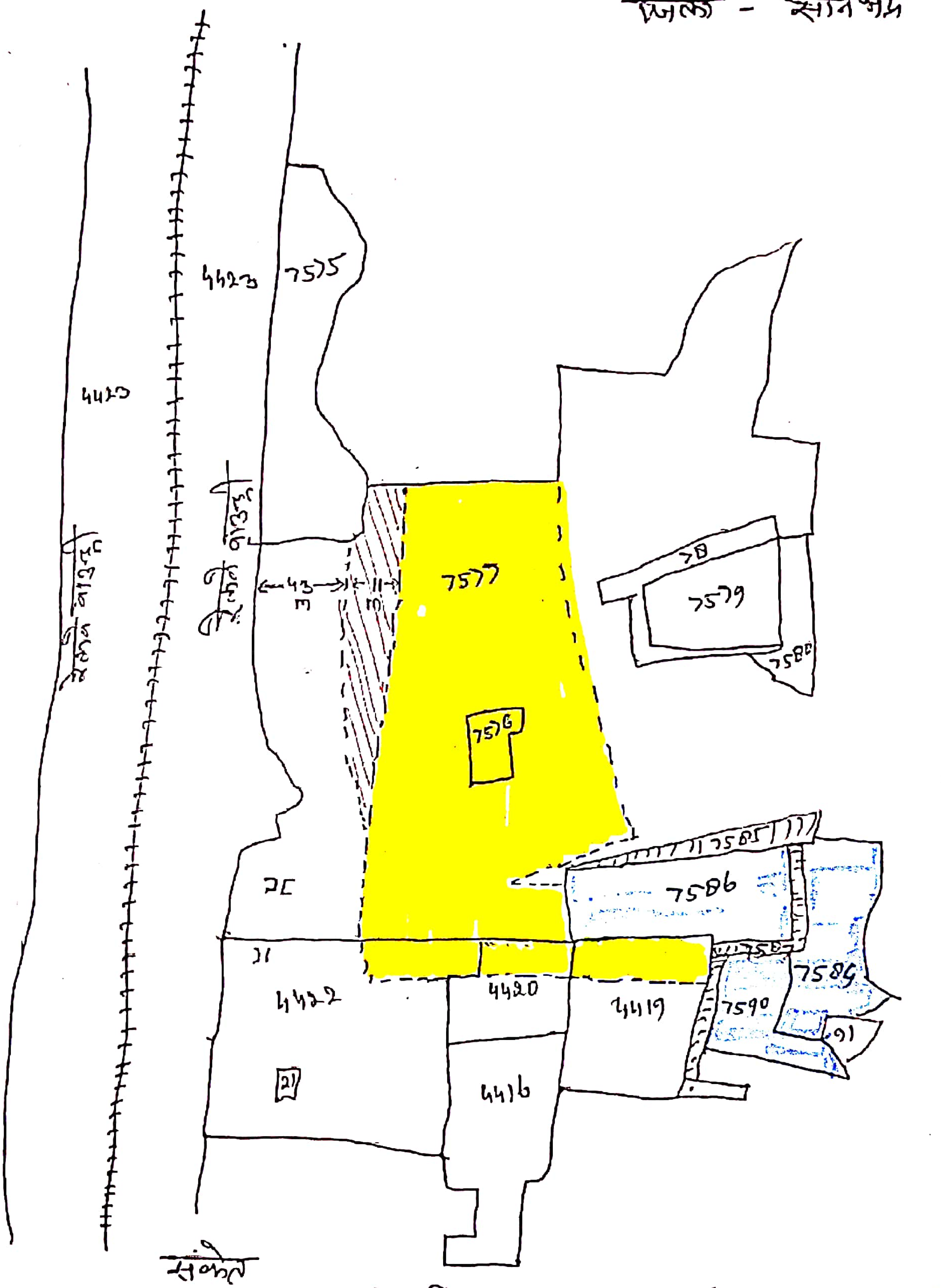


संकेत

वर्तमान खदान से पूर्व का खनन किया गया क्षेत्र

प्रस्तावित वर्तमान खनन क्षेत्र खदान बी०सी०एल०

प्रस्तावित वर्तमान खनन क्षेत्र राजेश फरीदा खदान

बांध

रेलवे लाइन

आबादी

# नजरी नक्शा (आंशिक)

ग्राम - बिल्ली मारकुण्डी
प० - अगोरी
तह० - ओबरा
जिला - सोनभद्र

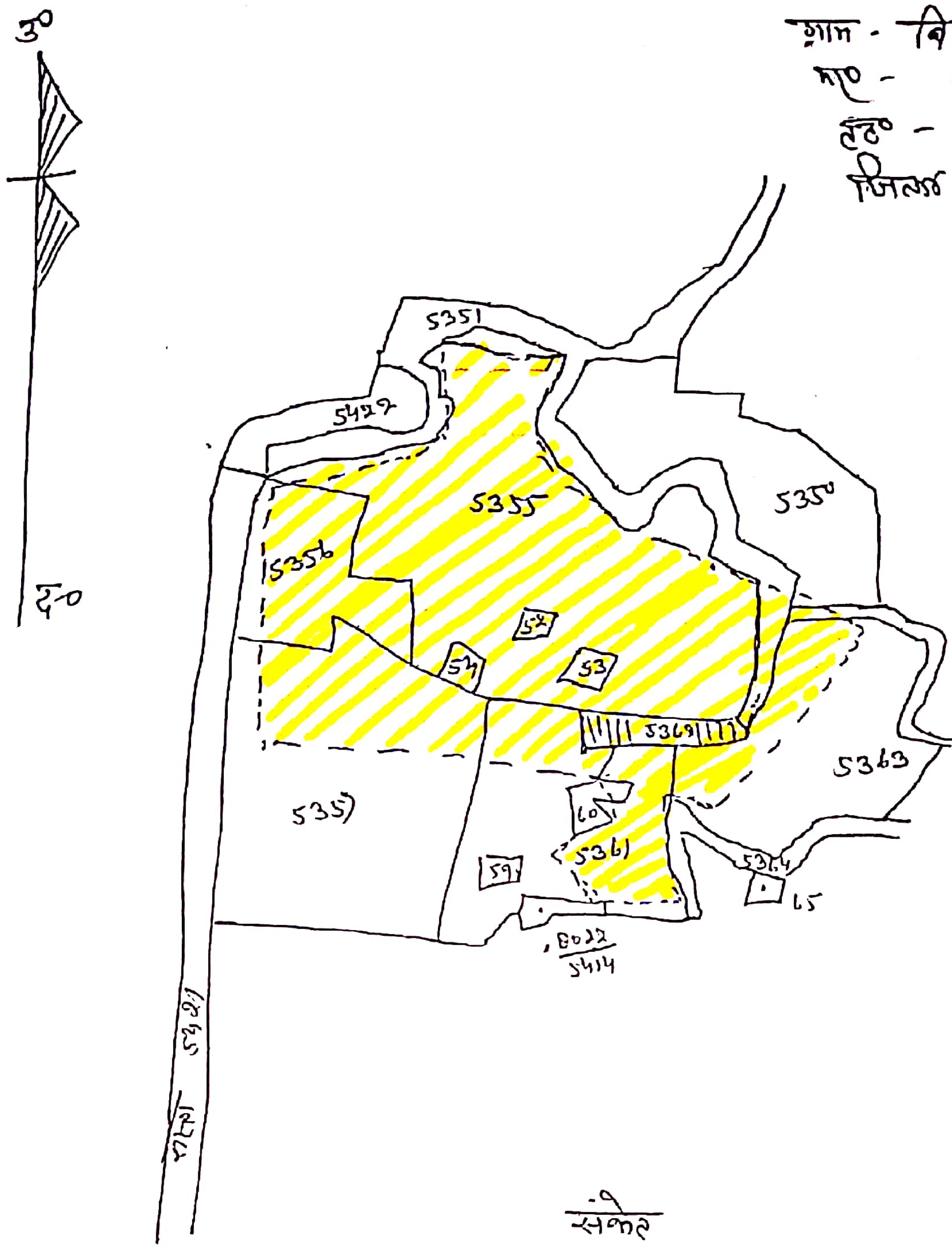


संकेत

बांध
टीला
खोदाई स्थान अवैध खनन
स्थान

Environment Impact Assessment Authority, Sonebhadra
Office of the District Magistrate, Sonebhadra
Fax: 05444-224566 E-mail: deiaasonbhadra@gmail.com संलग्न-नि.-1

Ref. No. 2 /Parya/DEIAA/SBR/2016 Date : 18-05-, 2016

To,

Sri Rajesh Kumar S/o Late Sri Kaliram,
And Smt. Farida W/o Sri Imtiyaj Ahmad
R/o-Chopan, Teh.-Robertsganj,
District-Sonebhadra, U.P.

**Sub: Regarding Environmental Clearance for proposed Dolostone Mining Project at Gata No. 7584, 7586, 7590 Village-Billi Markundi, Tehsil-Robertsganj, Sonebhadra, U.P. (Leased Area-1.85 Acres)**

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 18/08/2015 addressed to the Chairman/Secretary, SEAC, Directorate of Environment, Lucknow. The Proposal Transferred to DEIAA Sonebhadra after MoEF Notification Dated 15/01/2016. The District Level Committee considered the matter in its meeting held on dated 29/04/2016. A presentation was made by the consultant M/s ENV DAS India Pvt. Ltd., Lucknow, along with the representative of the project proponent, through documents, presentation made during meeting dated 29/04/2016 and reply to the queries raised by the DEIAA SBR, has informed to DEIAA SBR that:

1. The environmental clearance is sought for Dolostone Mining project at Gata No. 7584, 7586 & 7590 Village-Billi Markundi, Tehsil-Robertsganj, District-Sonebhadra, Uttar Pradesh (Leased area-1.85 acres).
2. Renewal Mining Lease area was granted by District Magistrate, Sonbhadra vide letter no.-563/खनिज/2015 दिनांक 16.07.2015
3. 15,000 Cubicmeter Dolostone is proposed to mine annually according to approved mining plan and validity of mining plan is valid up to 5 years from the date of deed execution.
4. The water requirement will be limited to 0.75 KLD from water tanker and borewells for drinking and 1.50 KLD for sprinkling on haulage route for dust suppression.
5. During operation the maximum no. of workers will not be more than 25.
6. The Project activity are not covered under general conditions, because its belong to B2 Category, under MoEF notification dated 15/01/2016 and 20/01/2016.
7. The mining will be opencast type and carried out semi mechanized.
8. The ultimate depth of mining will be restricted to 15 mtr/water level, whichever is less.
9. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
10. Regarding the project no litigation is pending in any court.

11. This project does not attract any of the general conditions applicable on project specified in EIA Notification 14/09/2006.

12. The Project proposal falls under B2 Category of MoEF Notification dated 15/01/2016 and 20/01/2016 Based on the above said project, the District Level Environment Impact Assessment Authority (meetings held on dated 29/04/2016) has decided to grant the Environmental Clearance to this project proposal subject to effective implementation of the following general and specific conditions:

**General Conditions**

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Forest clearance shall be taken by the proponent as necessary under law.
3. Any addition of the mining area, change of Khasra numbers, enhancement of capacity, change in mining technology, modernization and scope of working shall again required prior environmental clearance as per EIA notification, 2006.
4. No change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral and waste shall be made.
5. Mining will be carried out as per the approved mining plan. In case of any violation of mining plan, the Environmental Clearance given by DEIAA will stand cancelled.
6. Four ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for RSPM, SPM, $SO_2$, $NO_x$ monitoring. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board. The monitored data for criteria pollutants shall be regularly up loaded on the company's website and also displayed at website.
7. Data on ambient air quality (RSPM, SPM, $SO_2$, $NO_x$) should be regularly submitted to the Regional office, MoEF, GoI, Lucknow and the State Pollution Control Board/Central Pollution Control Board once in six months.
8. Ambient air quality at the boundary of the mine premises shall confirm to the norms prescribed in MoEF notification no. GSR/826(E) dt. 16.11.2009.
9. Fugitive dust emissions from all the sources shall be controlled regularly. Water spraying arrangement on haul roads loading and unloading and at transfer points shall be provided and properly maintained.
10. Measures shall be taken for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. Workers engaged in operations of HEMM, etc. shall be provided with ear plugs/muffs and health records of the workers shall be maintained.
11. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected, treated so as to conform to the standards prescribed under GSR 422 (E) dated 19th may, 1993 and 31st December, 1993 or as amended from time to time. Oil and grease trap shall be installed before discharge of workshop effluents.
12. Personal working in areas shall be provided with protective respiratory devices like mask and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.

Special measures shall be adopted to prevent ... impacts of mining activities.

14. The transportations of the materials shall be limited to day hours time only.

15. Provision shall be made for the housing the labourers within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

16. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.

17. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow and State Pollution Control Board regarding date of financial closures and final approval of the project by the Concerned authorities and the date of start of land development work.

18. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies as applicable in the matter.

19. The Project Proponent has to submit half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copy to the DEIAA, SBR. on 1st June and 1st December of each calendar year.

20. The DEIAA may alter/modify the above conditions or stipulate any further conditions in the interest of environment protection.

21. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

**Specific Conditions**

1. Norms of Transport Department/PWD shall be strictly followed during transportation of minerals.
2. haul road shall be made motorable.
3. Forest NOC shall be obtained prior to start of work.
4. Corporate Social Responsibility (CSR) plan along with budgetary provision of 5% of the total cost shall be prepared and approved by Board of Directors of the company. A copy of resolution as above shall be submitted to the authority along with list of beneficiaries with their mobile nos./address.
5. This Environmental Clearance does not create or verify any claim of applicant on the proposed site/activity.
6. This environmental clearance shall be subject to valid lease in favour of project proponent for the proposed mining proposals. In case, the project proponent does not have a valid lease, this environmental clearance shall automatically become null and void
7. The Environmental clearance will be co-terminus with the mining lease period.
8. No two pits shall be simultaneously worked i.e. before the first is exhausted and reclamation work completed, no mineral bearing area shall be worked.

9. After exhausting the first mine pit and before starting mining operations in the next pit, reclamation and plantation works in the exhausted pit shall be completed so as to ensure that reclamation, forest cover and vegetation are visible during the first year of mining operations in the next pit. This process will follow till the last pit is exhausted. Adequate rehabilitation of mined pit shall be completed before any new ore bearing area is worked for expansion.

10. Adequate buffer zone shall be maintained between two consecutive mineral bearing deposits.

11. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.

12. Green belt development shall be carried out considering CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Agriculture Department. Herbs and shrubs shall also form a part of afforestation programme besides tree plantation. The company shall involve local people for plantation Programme. Details of year wise afforestation programme including rehabilitation of mined out area shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow and DEIAA SBR every year.

13. Blast vibration study shall be conducted and a observation report submitted to the the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow and UPPCB within six months. The report shall also include measures for prevention of blasting associated impact on nearby houses and agricultural fields.

14. Controlled blasting techniques with sequential blasting shall be adopted. The blasting shall be carried out in the day time only.

15. Appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mining workers has to be ensured at the mining site.

16. Maintenance of village roads used for transportation of minerals are to be done by the company regularly at its own expenses. The roads shall be block topped.

17. Rain water harvesting shall be undertaken to recharge the ground water source.

18. Status of implementation shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, UP Pollution Control Board and DEIAA SBR within six months and thereafter every year from the next consequent year.

19. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion shall be carried out with geo textile matting or other suitable material, and thick plantation of native trees and shrubs shall be carried out at the dump slopes. Dumps shall be protected by retaining walls.

20. Trenches/garland drains shall be constructed at foot of dumps and coco filters installed at regular intervals to arrest silt from being carried to water bodies. Adequate number of Check Dams and Gully Plugs shall be constructed across seasonal/perennial nallahs, if any flowing through the ML area and silts arrested. De-silting at regular intervals shall be carried out.

21. Garland drain of appropriate size, gradient and length shall be constructed for both mine pit and for waste dump and sump capacity shall be designed keeping 50% safety margin over and above peak sudden rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the area adjoining the mine site. Sump capacity shall also

provide adequate retention period to ... Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drain and de-silted at regular intervals.

22. Ground and surface water, if any in and near the core zone (within 5.0 km of the lease) shall be regularly monitored for contamination and depletion due to mining activity and records maintained. The monitoring data shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR regularly. Further, monitoring points shall be located between the mine and drainage in the direction of flow of ground water shall be set up and records maintained.

23. Fugitive dust generation shall be controlled. Fugitive dust emission shall be regularly monitored at locations of nearest human habitation (including schools and other public amenities located nearest to sources of dust generation as applicable) and records submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR regularly.

24. Baseline data for ambient air quality shall be generated and maintained and RSPM level in ambient air in the nearby human habitation (villages) shall also be monitored along with other parameters.

25. Transportation of minerals shall be done by covering the trucks with tarpaulin or other suitable mechanism so that no spillage of mineral/dust takes place.

26. Occupational health and safety measures for the workers including identification of work related health hazards, training on malaria eradication, HIV, and health effects on exposure to mineral dust etc. shall be carried out. Periodic monitoring for exposure to reparable mineral dust on the workers shall be conducted and records maintained including health records of the workers. Awareness programme for workers on impact of mining on their health and precautionary measures like use of personal equipments etc. shall be carried out periodically. Review of impact of various health measures shall be conducted followed by follow up action wherever required.

27. The project proponent will ensure for providing employment to local people as per requirement, necessary protection measures around the mine pit and waste dump and garland drain around the mine pit and waste dump.

28. Top soil/solid waste shall be stacked properly with proper slope and adequate safeguards and shall be utilized for backfilling (wherever applicable) for reclamation and rehabilitation of mined out area. Top soil shall be separately stacked for utilization later for reclamation and shall not be stacked along with over burden.

29. Over burden (OB) shall be stacked at earmarked dump site (s) only and shall not be kept active for long period. The maximum height of the dump shall not exceed 20 m, each stage shall preferably be of maximum 10 m and overall slope of the dump shall not exceed $35^0$. The OB dump shall be backfilled. The OB dumps shall be scientifically vegetated with suitable native species to prevent erosion and surface run off.

30. Monitoring and management of rehabilitated areas shall continue until the vegetation becomes self sustaining. Compliance status shall be submitted to the

Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR on six monthly basis.

31. Slope of the mining bench and ultimate pit limit shall be as per the mining scheme approved by Indian Bureau of Mines.

32. Permission for abstraction of ground water shall be taken from Central Ground Water Board. Regular monitoring of ground and surface water sources for level and quality shall be carried out by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operation. The monitoring shall be carried out four times in a year i.e.-monsoon (April-May), Monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the data thus collected shall be regularly sent to MoEF, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board.

33. The waste water from the mine shall be treated to conform to the prescribed standards before discharging in to the natural stream. The discharged water from the Tailing Dam, if any shall be regularly monitored and report submitted to the Regional Office, Ministry of Environment & Forest, GoI, Lucknow, Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board.

34. Hydro geological study of the area shall be reviewed by the project proponent annually. In case adverse effect on ground water quality and quantity is observed mining shall be stopped and resumed only after mitigating steps to contain any adverse impact on ground water is implemented.

35. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transportation of minerals and others shall have valid permissions as prescribed under Central Motor Vehicle Rules, 1989 and its amendments. The Vehicles transporting minerals shall be covered with a tarapaulin or other suitable enclosures so that no dust particles/fine matters escape during the course of transportation. No overloading of minerals for transportation shall be committed. The trucks transporting minerals shall not pass through wild life sanctuary, if any in the study area.

36. Prior permission from the Competent Authority shall be obtained for extraction of ground water, if any.

37. A final mine closure plan, along with details of Corpus Fund, shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment & Forest, GoI, Lucknow and U.P. Pollution Control Board 5 years in advance of final mine closure for approval.

38. Project proponent shall explore the possibility of using solar energy where ever possible.

39. Commitment towards CSR has to be followed strictly.

40. Regular health chech-up record of the mine workers has to be maintained at site in a proper register. It should be made available for inspection whenever asked.

41. Project Proponent has to strictly follow the directions/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. Agencies from time to time.

42. The blasting will be done only after getting the permission from the Mining-Department.

You are also directed to ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this

permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership of the proposed site, this permission shall automatically deem to be cancelled.

The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.

The Project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance.

The DEIAA SBR/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if any conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of DEIAA SBR/MoEF. DEIAA SBR may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533 (E) dated 14-09-2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

जिला स्तरीय पर्यावरण संघात प्राधिकरण ★ सोनभद्र ★

**(Kailash Singh)**
S.D.M. (Sadar),
Member-Secretary,
DEIAA Sonebhadra, U.P.
dated as above.

No. / /Parya/DEIAA/SBR/................/2016

**Copy for information and necessary action to:**

1- The Principal Secretary, Environment, Govt. of U.P., Lucknow.
2- The Principal Secretary, Geology and Mining, Govt. of U.P., Lucknow .
3- Director, Environment, Bibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.
4- Director, Geology and Mining, Lucknow.
5- District Magistrate, Sonebhadra.
6- Divisional Forest Officer, Sonebhadra .
7- Divisional Forest Officer, Kaimur Wild Life, Mirzapur.
8- Additional District Magistrate, Sonebhadra .
9- Sub Divisional Magistrate (Sadar), Sonebhadra.
10- Regional Pollution Control Officer, Sonebhadra.
11- District Mining Officer, Sonebhadra.
12- NIC Sonebhadra to upload on website.

**(Kailash Singh)**
S.D.M. (Sadar),
Member-Secretary,
DEIAA Sonebhadra, U.P.

संलग्नक-2 (193)

## जांच आख्याः—

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)

महोदय,

कार्यालय आदेश संख्या—304 / खनिज / 2019 दिनांक 08.05.2019 के अनुपालन में गठित जांच दल द्वारा दिनांक 09.05.2019 को तहसील रावर्ट्सगंज स्थित ग्राम—बिल्ली मारकुण्डी, आराजी संख्या—7586, 7590, 7584 रकबा—1.85 एकड़ क्षेत्र के पट्टाधारक श्री राजेश कुमार एवं श्रीमती फरीदा बेगम के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण एवं सर्वेक्षण किया गया। जांच के समय यह देखा गया कि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर आराजी संख्या—7590 तथा 7584 (आराजी संख्या में स्वीकृत क्षेत्र का अवशेष भाग) तथा स्वीकृत पट्टे के मध्य आराजी संख्या—7587, जो राजस्व अभिलेख में बांध खाते की भूमि है, जिसमें अवैध खनन होना पाया गया, में 0.18 एकड़ क्षेत्र से औसत गहराई 7.50 मीटर (05 मीटर ओबर बर्डेन तथा 2.50 मीटर पत्थर) का ताजा अवैध खनन पाया गया तथा उक्त स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर आराजी संख्या—4419(प्रतिबन्धित क्षेत्र) में 0.20 एकड़ क्षेत्र से औसत गहराई 05 मीटर से ओबर बर्डेन की ताजा सफाई किया गया है, जिस स्थान पर ओवर बर्डेन हटाकर अवैध खनन होने की सम्भावना है। उक्त स्थान पर खनन न करने के लिए जांच टीम द्वारा निर्देश दिया गया है। मौके पर उपस्थित पट्टाधारक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि गर्मी के मौसम में मजदूरो के रहने के लिए उक्त स्थान में मड़ई (झोपड़ी) बनाया जायेगा।

इस प्रकार कुल 1,821.00 घन मी0 पत्थर का ताजा अवैध खनन तथा परिवहन होना पाया गया है। अवैध खनन से सम्बन्धित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है, जो साथ में संलग्न है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः— यथोपरि।

09-05-2019
(राजेश कुमार मिश्रा)
लेखपाल,
ग्राम बिल्ली मारकुण्डी

Laxmi Kant 09/05/2019
(लक्ष्मीकान्त यादव)
मानचित्रकार,
खनिज विभाग, सोनभद्र।

09/05/2019
(योगेश शुक्ला)
सर्वेक्षक,
खनिज विभाग, सोनभद्र।

09/05/19
(जी0के0 दत्ता)
खान निरीक्षक
सोनभद्र।

09/5/2019
तहसीलदार(न्यायिक),
रावर्ट्सगंज, सोनभद्र।

(194)

# कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

संलग्नक-3

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 399 /खनिज/2019 दिनांक 22/05/2019

**नोटिस**

**श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम**
**निवासी चोपन, जनपद–सोनभद्र**
**एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद**
**निवासी चोपन, जनपद–सोनभद्र।**

आपके पक्ष में जनपद–सोनभद्र के तहसील–रावर्ट्सगंज स्थित ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या–7586, 7590, 7584 रकबा–1.85 एकड़ क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर(डोलो स्टोन) स्वीकृत 10 वर्षीय (दिनांक 01.12.2016 से दिनांक 30.11.2026 तक) खनन पट्टा क्षेत्र की जांच तहसीलदार (न्यायिक) रावर्ट्सगंज, खान निरीक्षक सोनभद्र, सर्वेक्षक खनन विभाग एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 09.05.2019 को किया गया। जांच आख्या दिनांक 09.05.2019 के अनुसार आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर आराजी संख्या–7590 तथा 7584 (आराजी संख्या में स्वीकृत क्षेत्र का अवशेष भाग) तथा स्वीकृत पट्टे के मध्य आराजी संख्या–7587, जो राजस्व अभिलेख में बांध खाते की भूमि है, में 0.18 एकड़ क्षेत्र से औसत गहराई 7.50 मीटर (05 मीटर ओबर बर्डेन तथा 2.50 मीटर पत्थर) का ताजा अवैध खनन पाया गया तथा उक्त स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर आराजी संख्या–4419(प्रतिबन्धित क्षेत्र) में 0.20 एकड़ क्षेत्र से औसत गहराई 05 मीटर से ओबर बर्डेन की ताजा सफाई किया गया है, उस स्थान पर ओवर बर्डेन हटाकर अवैध खनन होने की सम्भावना है। उक्त स्थान पर खनन न करने के लिए जांच टीम द्वारा आपके प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया है। मौके पर उपस्थित आपके प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि गर्मी के मौसम में मजदूरो के रहने के लिए उक्त स्थान में मड़ई (झोपड़ी) बनाया जायेगा। इस प्रकार आप द्वारा कुल 1,821.00 घन मी0 पत्थर का ताजा अवैध खनन तथा परिवहन किया गया है।

आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–3, 57, 70 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–4 व 21 एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तो का उल्लंघन है।

अतः एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि नियमावली, 1963 के नियमों, अधिनियम की धाराओ तथा खनन पट्टाविलेख की शर्तो के उल्लंघन के आरोप में क्यों न आपके द्वारा अवैध रूप से किये गये खनन/परिवहित 1,821.00 घन मी0 पत्थर (डोलो स्टोन) की रायल्टी, खनिमुख मूल्य की वसूली अधिनियम, 1957 की धारा–21(5) के प्राविधानो के अनुसार की जाय तथा क्यों न उक्त उल्लंघन के कारण आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त कर दिया जाय। यदि निर्धारित समयावधि में आपका कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, तद्नुसार आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

22/5/19.

(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

क्रमांक-15-4 (198)

# कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1041 /खनिज/आदेश/2019 दिनांक 23/07/2019

## आदेश

श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम निवासी चोपन, जनपद–सोनभद्र एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद निवासी चोपन, जनपद–सोनभद्र के पक्ष में जनपद–सोनभद्र के तहसील–राबर्ट्सगंज स्थित ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या–7586, 7590, 7584 रकबा–1.85 एकड़ क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर(डोलो स्टोन) के नवीनीकृत 10 वर्षीय (दिनांक 01.12.2016 से दिनांक 30.11.2026 तक) खनन पट्टा क्षेत्र की जांच तहसीलदार (न्यायिक) राबर्ट्सगंज, खान निरीक्षक सोनभद्र, सर्वेक्षक खनन विभाग एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 09.05.2019 को किया गया। जांच आख्या दिनांक 09.05.2019 के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर आराजी संख्या–7590 तथा 7584 (आराजी संख्या में स्वीकृत क्षेत्र का अवशेष भाग) तथा स्वीकृत पट्टे के मध्य आराजी संख्या–7587, जो राजस्व अभिलेख में बांध खाते की भूमि है, में 0.18 एकड़ क्षेत्र से औसत गहराई 7.50 मीटर (05 मीटर ओबर बर्डेन तथा 2.50 मीटर पत्थर) का ताजा अवैध खनन पाया गया तथा उक्त स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर आराजी संख्या–4419(प्रतिबन्धित क्षेत्र) में 0.20 एकड़ क्षेत्र से औसत गहराई 05 मीटर से ओबर बर्डेन की ताजा सफाई किया गया है, उस स्थान पर ओवर बर्डेन हटाकर अवैध खनन होने की सम्भावना है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 1,821.00 घन मी0 पत्थर का ताजा अवैध खनन तथा परिवहन किया गया है। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–3, 57 एवं 70 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन व दण्डनीय अपराध है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय की नोटिस संख्या–399/खनिज/2019 दिनांक 22.05.2019 द्वारा राज्य सरकार को रायल्टी की हुई क्षति की वसूली किये जाने हेतु श्री राजेश कुमार एवं श्रीमती फरीदा बेगम को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके क्रम में पट्टाधारिका का स्पष्टीकरण दिनांक 27.06.2019 को प्राप्त हुआ। पट्टाधारिका श्रीमती फरीदा बेगम ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि– उनके पति इम्तियाज अहमद की दिनांक 25.10.2018 को कुछ व्यक्तियों द्वारा रंजीशन हत्या कर दी गयी थी, उन्हीं व्यक्तियों द्वारा उनके खनन पट्टे के विरूद्ध झूठी शिकायतें कराकर दबाव बनाना चाहते है। नोटिस में जिन मजदूरो के रहने के लिए झोपड़ी बनाये जाने की बात कही गयी है, उन मजदूरो से प्रार्थिनी कोई वास्ता सरोकार नहीं है और न ही उसके द्वारा मजदूरो के रहने के लिए किसी प्रकार की झोपड़ी बनवायी गयी है। प्रार्थिनी हमेशा अपने खनन क्षेत्र में खनन किया है। यदि मजदूरो द्वारा रहने लिए सफाई या ओवर बर्डेन हटाया गया है तो, प्रार्थिनी का उससे कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अन्त में पट्टाधारिका श्रीमती फरीदा बेगम द्वारा अनुरोध किया गया है कि उसके द्वारा किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया गया है, इसलिए उसके विरूद्ध जारी नोटिस दिनांक 22.05.2019 को निरस्त करने की कृपा की जाय।

तहसीलदार (न्यायिक) एवं खान निरीक्षक की जांच आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर आराजी संख्या–7590 तथा 7584

....2...

(2)

(आराजी संख्या में स्वीकृत क्षेत्र का अवशेष भाग) तथा स्वीकृत पट्टे के मध्य आराजी संख्या–7587, जो राजस्व अभिलेख में बांध खाते की भूमि है, में 0.18 एकड़ क्षेत्र से औसत गहराई 7.50 मीटर (05 मीटर ओबर बर्डेन तथा 2.50 मीटर पत्थर) का अवैध खनन पाया गया। पट्टेधारिका ने अपने स्पष्टीकरण में अवैध खनन न करने के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। जांच आख्या से यह स्पष्ट है कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन किया गया है।

अतः श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम निवासी चोपन, जनपद–सोनभद्र एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद निवासी चोपन, जनपद–सोनभद्र द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध खनन मात्रा 1,821.00 घन मी0 बोल्डर (डोलो स्टोन) की रू0 125.00 प्रति घन मी0 की दर से रायल्टी रू0 2,27,625.00, खनिमुख मूल्य रू0 11,38,125.00 अर्थात् कुल धनराशि रू0 13,65,750.00 (तेरह लाख पैंसठ हजार सात सौ पचास रूपये मात्र) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–21(5) के प्राविधानो के अनुसार श्री राजेश कुमार एवं श्रीमती फरीदा बेगम से वसूल की जाय। यदि उक्त धनराशि एक माह के अन्दर जमा नहीं किया जाता है तो उसकी वसूली, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–58 के प्राविधानो के अनुसार श्री राजेश कुमार एवं श्रीमती फरीदा बेगम से भू–राजस्व की भाँति की जाय। इस आदेश की एक प्रति श्री राजेश कुमार एवं श्रीमती फरीदा बेगम को भेज दी जाय।

23/7/19.
(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तद दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम निवासी चोपन, जनपद–सोनभद्र एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद निवासी चोपन, जनपद सोनभद्र को अनुपालनार्थ प्रेषित।

23/7/19.
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

# –: संयुक्त जॉच आख्या :–

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0– 891/एम0–प्रवर्तन सोनभद्र/2020(।।) दिनांक 11.01.2022 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र के आदेश पत्र सं0– 4921/ खनिज/2022 दिनांक 18.01.2022 के द्वारा जनपद–सोनभद्र के तहसील–ओबरा स्थित ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में संचालित खनन पट्टों का भौतिक सत्यापन करने एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में खनन हेतु स्वीकृत अनुमन्य मात्रा से अधिक हुये खनन की जॉच हेतु संयुक्त टीम गठित करते हुये स्थलीय जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुपालन में ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में स्वीकृत/संचालित खनन क्षेत्रों की जॉच/पैमाइस दिनांक 27.01.2022 से 04.02.2022 तक संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :–

**श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम निवासी चोपन, जनपद– सोनभद्र एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद निवासी– चोपन, जनपद– सोनभद्र।**

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पट्टाधारक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में पैमाईश/निरीक्षण की गयी। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बताये गये क्षेत्र का सर्वेक्षक द्वारा जी0पी0एस0/टोटल स्टेशन मशीन के माध्यम से खनन की मात्रा की गणना किया गया। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया। खनन पट्टे का विवरण एवं जॉच आख्या निम्न प्रकार है :–

| पट्टाधारक का नाम | आराजी सं0 | रकबा (एकड़ में) | पट्टा अवधि | | ई0सी0 में स्वीकृत मात्रा (घ0मी0 प्रति वर्ष) | पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई0 एम0एम0–11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घ0मी0 में) | संयुक्त जॉच आख्या के अनुसार वास्तविक खनन की मात्रा (घ0मी0 में) | खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घ0मी0 में) (8–7) | जी0पी0एस0 रीडिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | दिनांक से | दिनांक तक | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम | हा0आ0सं0 7586, 7590, 7584 | 1.85 | 01.12. 2016 | 30.11. 2026 | 15,000 | 60,827 | क्षेत्रफल x गहराई 3610 x 18 = 64,980 m³ | 4,153 | A- 24°27'40.41" N, 83°01'15.47" E<br>B- 24°27'38.21" N, 83°01'20.12" E<br>C- 24°27'36.24" N, 83°01'18.28" E<br>D- 24°27'37.26" N, 83°01'15.63" E<br>E- 24°27'38.72" N, 83°01'16.90" E<br>F- 24°27'39.71" N, 83°01'14.87" E |

स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य किये गये **पिट–1** का जी0पी0एस0 रीडिंग निम्नवत् है :–

| | |
|---|---|
| 1 | 24°27'38.45"N, 83°1'15.30"E |
| 2 | 24°27'39.32"N, 83°1'15.86"E |
| 3 | 24°27'38.22"N, 83°1'19.65"E |
| 4 | 24°27'36.51"N, 83°1'17.79"E |
| 5 | 24°27'37.21"N, 83°1'16.42"E |

स्वीकृत क्षेत्र में किये गये खनन पिट का क्षेत्रफल x गहराई

3,610 x 18 = 64,980 घ0मी0

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से 64,980 घ0मी0 डोलो स्टोन बोल्डर का खनन/परिवहन किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन का स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न है। जॉच के समय स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगा पाया गया, जिसमें से तीन सीमास्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। खनन पट्टा क्षेत्र में

बेंच का निर्माण कार्य कर खनन कार्य नही किया जा रहा है तथा गहराई के मानकों का अनुपालन भी नही किया जा रहा है।

दिनांक 21.01.2021 से दिनांक 25.01.2021 को प्रश्नगत क्षेत्र की जांच की गयी थी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत 298 घन मी0 का अनुमन्य मात्रा से अधिक खनन किये जाने की आख्या दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा अधिरोपित धनराशि जमा कर दी गयी है। स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2022 तक कुल (64980– 298) =64,682 घन मी0 का खनन किया गया गया है, जिसके सापेक्ष पट्टाधारक द्वारा 60,828 घन मी0 का ई0 एम0 एम0–11 निर्गत किया गया। पट्टाधारक द्वारा किये गये कुल खनन में से निर्गत किये गये ई0 एम0एम0–11 की मात्रा को घटाने के उपरान्त कुल 3,854 घ0मी0 का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार अवैध खनन किये गये खनिज की मात्रा 3,854 घ0मी0 पर रू0 160/– प्रति घन मी0 की दर से देय रायल्टी रू0 6,16,640/– एवं खनिज मूल्य रू0 30,83,200/– कुल रू0 36,99,840/– देय है।

आख्या सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सर्वेक्षक,
खनिज विभाग, सोनभद्र।

खान निरीक्षक,
सोनभद्र।

खान अधिकारी,
सोनभद्र।

खान अधिकारी,
सोनभद्र।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।

उप जिलाधिकारी,
ओबरा–सोनभद्र।

संलग्नक-6

# कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6357 / खनिज / 2022 दिनांक 05/03/2022

**श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम**
**निवासी चोपन, जनपद सोनभद्र**
**एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद**
**निवासी चोपन, जनपद सोनभद्र।**

## कारण बताओ नोटिस

आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील–ओबरा स्थित ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या–7586, 7590, 7584 रकबा–1.85 एकड़ क्षेत्र पर गिट्टी / बोल्डर (डोलो स्टोन) का 10 वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 01.12.2016 से दिनांक 30.11.2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

उप जिलाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 04.02.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 64,980 घन मी0 गिट्टी / बोल्डर (डोलो स्टोन) का खनन किया है, जिसके सापेक्ष 60,828 घन मी0 गिट्टी / बोल्डर (डोलो स्टोन) हेतु ई एम0एम0–11 जनरेट किया है। खनन पट्टा क्षेत्र में अतिरिक्त मात्रा का खनन किये जाने के कारण आप द्वारा पूर्व में 298 घन मी0 अवैध खनन की रायल्टी जमा की है। इस प्रकार आप द्वारा 3,854 घन मी0 गिट्टी / बोल्डर (डोलो स्टोन) का अवैध खनन / परिवहन किया गया है तथा खनन पट्टा क्षेत्र के 03 सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त पाये गये। खनन पट्टा क्षेत्र में बेंच का निर्माण कार्य कर खनन कार्य नही किया जा रहा है तथा गहराई के मानकों का अनुपालन भी नही किया जा रहा है।

आप द्वारा उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–3, 36, 58, 72 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन किया गया है, जो दण्डनीय अपराध है। आपके उक्त कृत्य हेतु आपका खनन कार्य तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित करते हुए अधिरोपित धनराशि जमा किये जाने तक ई एम0एम0–11 के निर्गमन हेतु ओ0टी0पी0 बन्द किया जाता है।

आप द्वारा किये गये अवैध खनन 3,854 घन मी0 पर रू0 160 / – प्रति घन मी0 की दर से रायल्टी रू0 6,16,640 / –, खनिमुख मूल्य रू0 30,83,200 / –, नियम–58 के अन्तर्गत अर्थदण्ड रू0 25,000 / – एवं नियम–60(3) के अधीन अर्थदण्ड रू0 25,000 / – अर्थात् कुल रू0 37,49,840 / –(रूपये सैंतीस लाख उन्चास हजार आठ सौ चालीस मात्र) अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि जमा करते हुए उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में आपके खनन पट्टे के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित करते हुये उक्त धनराशि को भू–राजस्व की भॉति वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।

(टी0के0 शिबु)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

Md. Ayan
16.03.2022
प्राप्त किया

संलग्नक- 7

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2

कोषागार प्रपत्र–200(1)

प्रपत्र संख्या–43 ए (1)
(प्रस्तर, 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म
(कर्ज एवं अग्रिम अदायगी की धनराशि प्रपत्र संख्या–43 ए (2) द्वारा जमा की जायेगी)

| | |
|---|---|
| उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा | **SBI, Robertsganj** |
| 2-जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता | श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम निवासी चोपन, जनपद सोनभद्र एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद निवासी चोपन, जनपद सोनभद्र। |
| -पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या | |
| 3–जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) | खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 3,854 घन मी0 गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) के अवैध खनन/परिवहन किये जाने पर जिलाधिकारी महोदय के कारण बताओ नोटिस संख्या–6357/खनिज/2022 दिनांक 05.03.2022 के क्रम में अधिरोपित रायल्टी, खनिमुख मुल्य एवं अर्थदण्ड की कुल धनराशि रू0 37,49,840/– में से आंशिक धनराशि रू0 19,00,000/– को जमा किये जाने के सम्बन्ध में |
| 4–जमा की जा रही धनराशि | 19,00,000/– |
| 5–लेखाशीर्ष का पूर्ण विवरण/मुहर 0 0 0 0<br>0853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग<br>00–.............<br>800– अन्य प्राप्तियाँ<br>01– अन्य प्राप्तियाँ | 0853 –अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग<br>00 –.............<br>800 –अन्य प्राप्तियां<br>01 –अन्य प्राप्तियां<br>0000 –............. |

6–लेखाशीर्ष का 13 डिजिट कोड

| मुख्य लेखा शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | ब्योरेवार शीर्ष | धनराशि (अंको में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 8 5 3 | 0 0 | 8 0 0 | 0 1 | 0 0 | 19,00,000/– |
| | | | | योग:– | 19,00,000/– |

धनराशि (शब्दों में) रू0 उन्नीस लाख मात्र।

धनराशि शीर्ष की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

अयान
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

| | | | |
|---|---|---|---|
| चालान संख्या:– | D400044 | अंको में | |
| दिनांक:– | 04042022 | शब्दों में | |

भारतीय स्टेट बैंक
राबर्ट्सगंज-सोनभद्र
04 APR 2022 00170
दीपक डिकवानिया

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उपकोषागार/बैंक की मुहर

संलग्नक 8

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2 कोषागार प्रपत्र–200(1)

प्रपत्र संख्या–43 ए (1)

(प्रस्तर, 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

(कर्ज एवं अग्रिम अदायगी की धनराशि प्रपत्र संख्या–43 ए (2) द्वारा जमा की जायेगी)

| | |
|---|---|
| उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा | **SBI, Robertsganj** |
| 1–जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता | श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम निवासी चोपन, जनपद सोनभद्र एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद निवासी चोपन, जनपद सोनभद्र। |
| 2–पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या | |
| 3–जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) | खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 3,854 घन मी0 गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) के अवैध खनन/परिवहन किये जाने पर जिलाधिकारी महोदय के कारण बताओ नोटिस संख्या–6357/खनिज/2022 दिनांक 05.03.2022 के क्रम में अधिरोपित रायल्टी, खनिमुख मुल्य एवं अर्थदण्ड की कुल धनराशि रू0 37,49,840/– में से आंशिक धनराशि रू0 19,00,000/– करने के बाद अवशेष धनराशि रू0 18,49,840/– जमा किये जाने के सम्बन्ध में |
| 4–जमा की जा रही धनराशि | 18,49,840/– |
| 5–लेखाशीर्ष का पूर्ण विवरण/मुहर<br>0 8 5 3 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0<br>0853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग<br>00–<br>800–अन्य प्राप्तियां<br>01–अन्य प्राप्तियां | 0853 –अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग<br>00 –.............<br>800 –अन्य प्राप्तियां<br>01 –अन्य प्राप्तियां<br>0000 –............. |

6–लेखाशीर्ष का 13 डिजिट कोड

| मुख्य लेखा शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | ब्योरेवार शीर्ष | धनराशि (अंको में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 8 5 3 | 0 0 | 8 0 0 | 0 1 | 0 0 | 18,49,840/– |
| | | | | योगः– | 18,49,840/– |

धनराशि (शब्दों में) रू0 अट्ठारह लाख उन्चास हजार आठ चालीस मात्र।

18/4/2022

धनराशि शीर्ष की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर व मुहर

अमान

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

| | | | |
|---|---|---|---|
| चालान संख्याः– | DL00107 | अंको में | 1849840/- |
| दिनांकः– | 2 1 0 4 2 0 2 2 | शब्दों में | |

21 APR 2022

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उपकोषागार/बैंक की मुहर

सलग्नक - 14 (189)

प्रेषक, संख्या–2905 / 86–2015–236 / 2015

गेन्दन लाल,
सयुंक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 25 अगस्त, 2015

विषयः–उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत स्वास्थानें किस्म (in situ) के खनिजों निक्षेपों के खनन पट्टों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–701 / खनिज / 2015, दिनांक 07.08.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वास्थानें किस्म (In situ) के खनिज निक्षेपों / गिट्टी–बोल्डर (डोलो स्टोन) के खनन पट्टे की स्वीकृति के लिये शासन की पूर्व सहमति प्राप्त किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद–सोनभद्र के तहसील–रावर्ट्सगंज स्थित ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या–5355क, 5359, 5361, 5363क, 5351क, 5352, 5353, 5354, 5362, 5355ख, 5356, 5357ख, एवं 5351ख में रकबा–5.80 एकड क्षेत्र पर मे0 इशाना कन्सट्रक्शन पा0–श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान निवासिनी ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी ओबरा, जनपद–सोनभद्र के पक्ष में 10 वर्षीय गिट्टी–बोल्डर (डोलो स्टोन) के खनन पट्टे की स्वीकृति के निमित्त शासन की पूर्व सहमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) शासनादेश संख्या–2430 / 86–2015–278 / 2011, दिनांक 14.07.2015 द्वारा यथा अधिसूचित / प्रख्यापित उ0प्र0 उपखनिज (परिहार)(अड़तीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2015 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित शर्तों को पूर्ण करने एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से खनन योजना / खनन बन्दी योजना पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टा विलेख का निष्पादन किया जायेगा एवं वास्तविक खनन संक्रियाओं के संचालन की अनुमति दी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में शासन द्वारा दिया गया अनुमोदन वापस लिया गया समझा जायेगा।

(2) खनन पट्टे की भूमि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करा लेने एवं सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त खनन पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाय।

(3) उक्त के अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्ड पीठ तथा अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा पारित अन्य आदेशों, यदि कोई हो, के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित कर ली जाए।

(4) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) तथा उसके अधीन समय–समय पर निर्गत संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाए।

(5) स्वीकृत खनन योजना एवं पर्यावरण विभाग से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार अन्तिम स्वीकृत / पट्टा विलेख निष्पादन की कार्यवाही की जायें।

–2–

(6) आवेदित क्षेत्र पर पट्टा स्वीकृत करने के पूर्व/पश्चात् खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पहले प्रश्नगत क्षेत्र का सीमांकन उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–35 व निमय–41 के प्राविधानों के अनुसार कराया जायेगा। सीमाकंन के पश्चात् जो क्षेत्र उपलब्ध होता है उसे आवेदक स्वीकार करेगा।

(7) आवेदित क्षेत्र पर खनन पट्टा स्वीकृत करने के पूर्व वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा वन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(8) आवेदक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से सटे हुए आराजी संख्या अथवा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से समुचित दूरी पर खनन कार्य किया जायेगा जिससे किसी प्रकार का विवाद न हो।

(9) आवेदक द्वारा खनन योजना के अनुसार पर्यावरण एवं परिस्थितिकी को ध्यान में रखकर स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा।

भवदीय,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

**प्रतिलिपि–संख्याः 2905(1) /86–2015, तद्दिनांकः–**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक – 15

## –: संयुक्त जॉच आख्या :–

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0– 891/एम0–प्रवर्तन सोनभद्र/2020(।।) दिनांक 11.01.2022 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र के आदेश पत्र सं0– 4921/ खनिज/2022 दिनांक 18.01.2022 के द्वारा जनपद– सोनभद्र के तहसील– ओबरा स्थित ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी में संचालित खनन पटटों का भौतिक सत्यापन करने एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में खनन हेतु स्वीकृत अनुमन्य मात्रा से अधिक हुये खनन की जॉच हेतु संयुक्त टीम गठित करते हुये स्थलीय जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुपालन में ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी में स्वीकृत/संचालित खनन क्षेत्रों की जॉच/पैमाइस दिनांक 27.01.2022 से 04.02.2022 तक संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :–

**मे0 इशाना कन्सट्रक्शन पा0– श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान निवासिनी ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा, जनपद सोनभद्र।**

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पट्टाधारक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में पैमाईश/निरीक्षण की गयी। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बताये गये क्षेत्र का सर्वेक्षक द्वारा जी0पी0एस0/टोटल स्टेशन मशीन के माध्यम से खनन की मात्रा की गणना किया गया। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया। खनन पट्टे का विवरण एवं जॉच आख्या निम्न प्रकार है :–

| पट्टाधारक का नाम | आराजी सं0 | रकबा (एकड़ में) | पट्टा अवधि | | ई0सी0 में स्वीकृत मात्रा (घ0मी0 प्रति वर्ष) | पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई0 एम0एम0–11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घ0मी0 में) | संयुक्त जॉच आख्या के अनुसार वास्तविक खनन की मात्रा (घ0मी0 में) | खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घ0मी0 में) (8–7) | जी0पी0एस0 रीडिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | दिनांक से | दिनांक तक | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| मे0 इशाना कन्सट्रक्शन | 5355क, 5359, 5361, 5363क, 5351क, 5352, 5353, 5354, 5362, 5355ख, 5356, 5357ख एवं 5351ख | 5.80 | 27.05. 2016 | 26.05. 2026 | 40,000 | 1,03,326 | क्षेत्रफल x गहराई 3380 x 31 = 1,04,780 m³ | 1,454 | A- 24°28'47.16" N, 83°00'21.40" E<br>B- 24°28'47.47" N, 83°00'23.78" E<br>C- 24°28'48.56" N, 83°00'23.44" E<br>D- 24°28'48.75" N, 83°00'24.14" E<br>E- 24°28'48.44" N, 83°00'24.74" E<br>F- 24°28'46.61" N, 83°00'24.81" E<br>G- 24°28'44.61" N, 83°00'27.86" E<br>H- 24°28'43.02" N, 83°00'25.00" E<br>I- 24°28'41.53" N, 83°00'25.67" E<br>J- 24°28'41.50" N, 83°00'24.24" E<br>K- 24°28'42.45" N, 83°00'23.61" E<br>L- 24°28'42.37" N, 83°00'24.18" E<br>M- 24°28'42.80" N, 83°00'24.59" E<br>N- 24°28'43.68" N, 83°00'24.41" E<br>O- 24°28'44.51" N, 83°00'19.27" E |

स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य किये गये पिट–1 का जी0पी0एस0 रीडिंग निम्नवत् है :–

| | |
|---|---|
| 1 | 24°28'44.03"N, 83°00'23.96"E |
| 2 | 24°28'43.79"N, 83°00'24.93"E |
| 3 | 24°28'43.53"N, 83°00'25.92"E |
| 4 | 24°28'42.95"N, 83°00'24.98"E |
| 5 | 24°28'41.56"N, 83°00'25.64"E |
| 6 | 24°28'41.55"N, 83°00'24.24"E |

| | |
|---|---|
| 7 | 24°28'42.38"N, 83°00'23.73"E |
| 8 | 24°28'42.68"N, 83°00'24.21"E |
| 9 | 24°28'43.43"N, 83°00'23.85"E |

स्वीकृत क्षेत्र में किये गये खनन पिट का क्षेत्रफल x गहराई

3380 x 31 = 1,04,780 घ0मी0

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से 1,04,780 घ0मी0 डोलो स्टोन बोल्डर का खनन/परिवहन किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन का स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न है। जॉच के समय स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगा पाया गया, जिसमें से पांच सीमास्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। खनन पट्टा क्षेत्र में बेंच का निर्माण कार्य कर खनन कार्य नही किया जा रहा है तथा गहराई के मानकों का अनुपालन भी नही किया जा रहा है।

दिनांक 21.01.2021 से दिनांक 25.01.2021 को प्रश्नगत क्षेत्र की जांच की गयी थी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत 637 घन मी0 का अनुमन्य मात्रा से अधिक का खनन किये जाने की आख्या दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा अधिरोपित धनराशि जमा कर दी गयी है। स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2022 तक कुल (1,04,780– 637) = 1,04,143 घन मी0 का खनन किया गया गया है, जिसके सापेक्ष पट्टाधारक द्वारा 1,03,326 घन मी0 का ई0 एम0 एम0–11 निर्गत किया गया। पट्टाधारक द्वारा किये गये कुल खनन में से निर्गत किये गये ई0 एम0एम0–11 की मात्रा को घटाने के उपरान्त कुल 817 घन मी0 का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार अवैध खनन किये गये खनिज की मात्रा 817 घ0मी0 पर रू0 160/– प्रति घन मी0 की दर से देय रायल्टी रू0 1,30,720/– एवं खनिज मूल्य रू0 6,53,600/– कुल रू0 7,84,320/– देय है।

आख्या सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सर्वेक्षक,
खनिज विभाग, सोनभद्र।

खान निरीक्षक,
सोनभद्र।

खान अधिकारी,
सोनभद्र।

खान अधिकारी,
सोनभद्र।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।

उप जिलाधिकारी,
ओबरा–सोनभद्र।

संलग्नक – 16

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2

कोषागार प्रपत्र–200(1)

प्रपत्र संख्या–43 ए (1)
(प्रस्तर, 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म
(कर्ज एवं अग्रिम अदायगी की धनराशि प्रपत्र संख्या–43 ए (2) द्वारा जमा की जायेगी)

| | |
|---|---|
| उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा | SBI, Robertsganj |
| 1–जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता | मे0 इशाना कन्सट्रक्शन पा0 श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान निवासिनी ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा, जनपद–सोनभद्र। |
| 2–पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या | |
| 3–जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) | खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 817 घन मी0 गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) के अवैध खनन/परिवहन किये जाने पर जिलाधिकारी महोदय के कारण बताओ नोटिस संख्या–6359/खनिज/2022 दिनांक 05.03.2022 के क्रम में अधिरोपित रायल्टी, खनिमुख मुल्य एवं अर्थदण्ड की कुल धनराशि रू0 8,34,320/– को जमा किये जाने के सम्बन्ध में |
| 4–जमा की जा रही धनराशि | 8,34,320/– |
| 5–लेखाशीर्ष का पूर्ण विवरण/मुहर<br>0853000000010000<br>0853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग<br>00–............<br>800–अन्य प्राप्तियां<br>01 अन्य प्राप्तियाँ | 0853 –अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग<br>00 –..............................<br>800 –अन्य प्राप्तियां<br>01 –अन्य प्राप्तियां<br>0000 –.............................. |

6–लेखाशीर्ष का 13 डिजिट कोड

| मुख्य लेखा शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | ब्योरेवार शीर्ष | धनराशि (अंको में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 8 5 3 | 0 0 | 8 0 0 | 0 1 | 0 0 | 8,34,320/– |
| | | | | योगः– | 8,34,320/– |

| | | |
|---|---|---|
| धनराशि (शब्दों में) | रू0 | आठ लाख चौंतीस हजार तीन सौ बीस मात्र। |

धनराशि शीर्ष की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर व मुहर

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

| | | | |
|---|---|---|---|
| चालान संख्याः– | CN00059 | अंको में | 834320/– |
| दिनांकः– | 23032022 | शब्दों में | |

भारतीय स्टेट बैंक राबर्ट्सगंज-सोनभद्र 23 MAR 2022 00170 Arkansh Baranwal- PI-6587984 नगद जमा/भुगतान/अन्तरण

8,34,320/

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उपकोषागार/बैंक की मुहर

सत्यापित - 17

# –: स्थलीय जॉच / निरीक्षण आख्या :–

**अपर** जिलाधिकारी (न्यायिक)

**महोदय,**

कृपया अवगत कराना है कि अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सोनभद्र महोदय के पत्र संख्या 277 / खनिज / जॉच / 2022 दिनांक 29.04.2022 के अनुपालन में गठित जॉच दल के द्वारा जनपद सोनभद्र के तहसील ओबरा स्थित ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आ0सं0 7618 रकबा–2.50 एकड़ भू–क्षेत्र पर पूर्वान्चल सेवा समिति सचिव श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान के पक्ष में दिनांक 11.01.2007 से 10.01.2017 तक की अवधि हेतु स्वीकृत एवं आ0सं0 5355क,5359,5361, 5363क,5351क,5352,5353,5354,5362,5355ख,5356,5357ख,5351ख रकबा– 5.80 एकड़ भू–क्षेत्र पर मे0 इशाना कन्सट्रक्शन पा0 श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान निवासिनी ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा, जनपद सोनभद्र के पक्ष में दिनांक 27.05.2016 से 26.05.2026 तक की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टो की स्थलीय जॉच राजस्व विभाग के लेखपाल श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी, क्षेत्र– ग्राम बिल्ली मारकुण्डी व श्री मो0 आरिफ राजस्व निरीक्षक क्षेत्र बिल्ली मारकुण्डी के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 30.04.2022 को की गयी। जॉच आख्या निम्नवत् है :–

**1**– जनपद सोनभद्र के तहसील ओबरा स्थित ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आ0सं0 7618 रकबा–2.50 एकड़ भू–क्षेत्र पर पूर्वान्चल सेवा समिति सचिव श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान के पक्ष में दिनांक 11.01.2007 से 10.01.2017 तक की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान खनन कार्य बन्द पाया गया। स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर पानी भरा पाया गया जिसकी वजह से बोल्डर(डोलोस्टोन) के खनन का आंकलन किया जाना सम्भव नही है।

**2**– जनपद सोनभद्र के तहसील ओबरा स्थित ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आ0सं0 5355क,5359,5361,5363क,5351क,5352,5353,5354,5362,5355ख,5356,5357ख,5351ख रकबा– 5.80 एकड़ भू–क्षेत्र पर मे0 इशाना कन्सट्रक्शन पा0 श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान निवासिनी ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा, जनपद सोनभद्र के पक्ष में दिनांक 27.05.2016 से 26.05.2026 तक की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान खनन कार्य होते हुए नही पाया गया। निरीक्षण के समय पट्टाधारिका के प्रतिनिधि श्री दीपू यादव निवासी– आजमगढ हालपता चोपन, सोनभद्र उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ लगे हुये पाये गये। स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के पीलर संख्या G (भू–निर्देशांक 24°28′44.61″N, 83°00′27.86″ E) व H (भू–निर्देशांक 24°28′43.02″N, 83°00′25.00″ E) मिलान रेखा से दक्षिण दिशा की तरफ स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन पट्टाधारिका द्वारा उपखनिज बोल्डर (डोलोस्टोन) के निकासी / परिवहन हेतु रास्ता बनाकर आराजी संख्या 5363 जो कि रामप्रसाद पुत्र दादूलाल, सुजीत कुमार सरोज पुत्र चौथी राम, अंकित अग्रवाल के निजी भूमि में बोल्डर (डोलोस्टोन) का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया। जिसका भू–निर्देशांक लेते हुए पैमाईश किया गया, जो निम्नवत् है :–

**अवैध खनन स्थल का भू–निर्देशांक –**

| बिन्दु संख्या | अक्षांश | देशान्तर |
|---|---|---|
| 1 | 24°28′43.57″N | 83°00′26.02″ E |
| 2 | 24°28′44.01″N | 83°00′26.97″ E |
| 3 | 24°28′42.34″N | 83°00′27.29″ E |
| 4 | 24°28′41.81″N | 83°00′26.59″ E |
| 5 | 24°28′42.51″N | 83°00′25.86″ E |

**अवैध खनन स्थल की पैमाईश –**

औसत लम्बाई x औसत चौड़ाई x औसत गहराई = 38 मीटर x 46 मीटर x 09 मीटर
=15,732 घनमीटर

सलग्नक - 13

# कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 400 / खनिज / 2022 दिनांक 12/05/2022

**मे0 इशाना कन्स्ट्रक्शन,**
**पा0 श्रीमती आफरीना खान**
**पत्नी श्री इश्तियाक खान,**
**निवासिनी–ग्राम बिल्ली मारकुण्डी,**
**ओबरा, जनपद–सोनभद्र।**

## कारण बताओ नोटिस

आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील–ओबरा स्थित ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या–5355क, 5359, 5361, 5363क, 5351क, 5352, 5353, 5354, 5362, 5355ख, 5356, 5357ख, 5351ख रकबा–5.80 एकड़ क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलोस्टोन) का 10 वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 27.05.2016 से दिनांक 26.05.2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

खान अधिकारी, सोनभद्र की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 01.05.2022 के अनुसार आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ आ0सं0 5363 श्री रामप्रसाद पुत्र श्री दादूलाल, श्री सुजीत कुमार, सरोज पुत्र श्री चौथी राम, अंकित अग्रवाल के निजी भूमि में लम्बाई 38 मीटर चौड़ाई 46 मीटर एवं ऊचाई 09 मीटर मात्रा 15732 घ0मी0 बोल्डर (डोलास्टोन) का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है।

इस प्रकार आप द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम–3 तथा खनन पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किया गया है।

आप द्वारा किये गये अवैध खनन मात्रा 15,732 घन मी0 बोल्डर (डोलोस्टोन) की रायल्टी रू0 19,66,500/– खनिमुख मूल्य रू0 98,32,500/– एवं नियम–58 के अन्तर्गत अर्थदण्ड रू0 2,00,000/– अर्थात् कुल रू0 1,19,99,000/– (रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख निन्यानबे हजार मात्र) 07 दिवस के अन्दर जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि के अन्दर उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि जमा करते हुए उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा इस प्रकार की अनियमितता किन परिस्थितियों में की गयी है। अन्यथा की स्थिति में आपके खनन पट्टा के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त धनराशि को भू–राजस्व की भॉति वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।

(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

**बिमा नही/NOT INSURED**
RU 781758013 IN 400
लगाये गये टिकटों का मूल्य रू0 पै0
Amount of Stamps affixed Rs. 21 P.
एक रजिस्ट्री ............ प्राप्त किया
Recieved a Registered
पाने वाले का नाम ............
Address to............
एफ.ओ. सं0 -231216-01-02
तारीख मोहर
पाने वाले अधिकारी का नाम
Signature of Recieving officer
18/05/22

Forward photostate
SODHIR KAMAR
(Sqrmay SRIVASTAVA)
9958175005

संलग्नक - 13



# FIRST INFORMATION REPORT
## (Under Section 154 Cr.P.C.)
## प्रथम सूचना रिपोर्ट
## (धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** सोनभद्र **P.S. (थाना):** ओबरा **Year (वर्ष):** 2022

**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0083 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 07/05/2022 14:42 घंटे

2.

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|---|---|---|
| 1 | भा दं सं 1860 | 379 |
| 2 | उत्तर प्रदेश उपखानिज (परिहार) नियमावली, 1963 | 3 |
| 3 | उत्तर प्रदेश उपखानिज (परिहार) नियमावली, 1963 | 57 |
| 4 | उत्तर प्रदेश उपखानिज (परिहार) नियमावली, 1963 | 7 |
| 5 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 | 4 |
| 6 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 | 21 |
| 7 | सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 | 3 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

**1**

Day (दिन): शनिवार

Date from (दिनांक से): 30/04/2022

Date To (दिनांक तक): 30/04/2022

Time Period (समय अवधि): पहर 1

Time From (समय से): 00:00 बजे

Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 07/05/2022

Time (समय): 14:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 031

Date and Time (दिनांक और समय): 07/05/2022 14:30 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 3 कि. मी.

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): आराजी संख्या 5363 बहद ग्राम,बिल्ली मारकुण्डी

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री ईश्वर चन्द्र

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

**Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

**(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|---|---|---|

**(h) Occupation (व्यवसाय):**

**(i) Address (पता):**

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | खान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2 | स्थायी पता | खान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, भारत |

**(j) Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-7987039044

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | खनन पट्टेधारिका मे0 इशाना कन्सट्रक्शन पा0 श्रीमती आफरीना खान | | पिता का नाम : श्री इश्तियाक खान | 1. ग्राम बिल्ली मारकुण्डी ओबरा,ओबरा,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत |
| 2 | अवैध खनन परिवहन में संलिप्त अन्य अज्ञात व्यक्तियों | | | 1. अज्ञात,अज्ञात |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S. No. (क्र.सं.) | Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल तहरीर... सेवा में प्रभारी निरीक्षक थाना ओबरा जनपद सोनभद्र महोदय कृपया अवगत कराना है कि अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सोनभद्र महोदय के पत्र संख्या 277/खनिज/जाँच/2022 दिनाँक 29.04.2022 के अनुपालन में गठित जाँच दल के द्वारा जनपद सोनभद्र के तहसील ओबरा स्थित ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आ0सं0 7618 रकबा-2.50 एकड़ भू-क्षेत्र पर पूर्वान्चल सेवा समिति सचिव श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान के पक्ष में दिनाँक 11.01.2007 से 10.01.2017 तक की अवधि हेतु स्वीकृत एवं आ0सं0 5355क, 5359, 5361, 5363क, 5351क, 5352, 5353, 5354, 5362, 5355ख, 5356, 5357ख, 5351ख रकबा- 5.80 एकड भू-क्षेत्र पर मे0 इशाना कन्सट्रक्शन पा0 श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान निवासिनी ग्राम- बिल्ली मारकुण्डी ओबरा, जनपद सोनभद्र के पक्ष में दिनाँक 27.05.2016 से 26.05.2026 तक की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टो की स्थलीय जाँच राजस्व विभाग के लेखपाल श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी, क्षेत्र- ग्राम बिल्ली मारकुण्डी व श्री मो0 आरिफ राजस्व निरीक्षक क्षेत्र बिल्ली मारकुण्डी के साथ संयुक्त रूप से दिनाँक 30.04.2022 को की गयी । जाँच आख्या निम्नवत् है । जनपद सोनभद्र के तहसील ओबरा स्थित ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आ0सं0 5355क, 5359, 5361, 5363क, 5351क, 5352, 5353, 5354, 5362, 5355ख, 5356, 5357ख, 5351ख रकबा- 5.80 एकड भू- क्षेत्र पर मे0 इशाना कन्सट्रक्शन पा0 श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान निवासिनी ग्राम बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा, जनपद सोनभद्र के पक्ष में दिनाँक 27.05.2016 से 26.05.2026 तक की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान खनन कार्य होते हुए नही पाया गया । निरीक्षण के समय पट्टाधारिका के प्रतिनिधि श्री दीपू यादव निवासी आजमगढ हाल पता चोपन सोनभद्र उपस्थित है । निरीक्षण के दौरान खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ लगे हुए पाये गये । स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के पीलर संख्या G (भू-निर्देशांक 242844.61N, 830027.86E) व H(भू-निर्देशांक 242843.02N, 830025.00E)मिलान रेखा से दक्षिण दिशा की तरफ स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन पट्टाधारिका द्वारा उपखनिज बोल्डर (डोलो स्टोन) के निकासी /परिवहन हेतु रास्ता बना कर आराजी संख्या 5363 जो की राम प्रसाद पुत्र दादू लाल,सुजीत कुमार सरोज पुत्र चौथी राम,अकिंत अग्रवाल के निजी भूमी में बोल्डर (डोलो स्टोन) का अवैध

खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया, जिसकी पैमाईश की गयी । पैमाईश आख्या निम्नवत् है । 38 मीटर X 46 मीटर X 09 मीटर 15,732 घन मी0 इस प्रकार पट्टाधारिका द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 15,732 घन मी0 डोलो स्टोन बोल्डर का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है । पट्टाधारक के उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3, 58 व 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन किया जाना पाया गया, जो दण्डनीय अपराध है तथा लोक सम्पति की भी क्षति की गयी है । अतः खनन पट्टेधारिका मे0 इशाना कन्सट्रक्शन पा0 श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान निवासिनी ग्राम बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा जनपद सोनभद्र व उपरोक्त अवैध खनन / परिवहन में संलिप्त अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं व लोक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं व उपरोक्त खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें । दिनाँक 07.05.22 ह0 अग्रेजी अपठनीय 07/05/2022 (ईश्वर चन्द्र) खान निरीक्षक, सोनभद्र मो 7987039044 ह0 अग्रेजी अपठनीय 07.05.22 (एस0के0 पाल) सर्वेक्षक खनिज विभाग सोनभद्र । मो0नं0 9936905196 नोटः- मैं हे0मु0 रत्नेश कुमार सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल अक्षरशः अंकित किया गया है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
**(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** MANISH DWIVEDI **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक

**No. (सं.):** 152690627 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

**(3)**

Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ABHAY KUMAR SINGH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 012190267

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

**District Level Environment [redacted] ssment Authority, Sonebhadra**
Office of the District Magistrate, Sonebhadra,
Fax: 05444-224566 E-mail: deiaasonbhadra@gmail.com

Ref. No. 22 /Parya/DEIAA/SBR/2016 Date : 18/05/2016

To,

M/s B.C.S. Enterprises
Partner Sri Chandra Bhusan Gupta
& Sri Shafiq Ahmad
R/o-Village-obra, Teh.-Robertsganj,
District-Sonebhadra, U.P.

**Sub: Regarding Environmental Clearance for proposed Dolostone Mining Project at Gata No. 4419 Kha, 4419 Ga, 4422 KA MI, 4416 KA, 7576, 7577 KHA, 4420 MI Village-Billi Markundi, Tehsil-Robertsganj, Sonebhadra, U.P. (Leased Area-4-86 Acres)**

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 08/09/2015 addressed to the Chairman/Secretary, SEAC, Directorate of Environment, Lucknow. The Proposal Transferred to DEIAA Sonebhadra after MoEF Notification Dated 15/01/2016. The District Level Committee considered the matter in its meeting held on dated 29/04/2016. A presentation was made by the consultant M/s Ind Tech House Consult, Delhi along with the representative of the project proponent, through documents, presentation made during meeting dated 29/04/2016 and reply to the queries raised by the DEIAA SBR, has informed to DEIAA SBR that:

1. The environmental clearance is sought for Dolostone Mining project at Gata No. 4419 Kha, 4419 Ga, 4422 KA MI, 4416 KA, 7576, 7577 KHA, 4420 MI Village-Billi Markundi, Tehsil-Robertsganj, District-Sonebhadra, Uttar Pradesh (Leased area-4-86 acres).
2. Mining Lease area was granted by District Magistrate, Sonbhadra vide letter no.-804/खनिज/2015 दिनांक 31.08.2015
3. 40,000 Cubicmeter Dolostone is proposed to mine annually according to approved mining plan and validity of mining plan is valid up to 5 years from the date of deed execution.
4. The water requirement will be limited to 1.30 KLD from water tanker and borewells for drinking, 2.00 KLD for sprinkling on haulage route for dust suppression and 1.00 KLD for plantation and others.
5. During operation the maximum no. of workers will not be more than 35.
6. The Project activity are not covered under general conditions, because its belong to B2 Category, under MoEF notification dated 15/01/2016 and 20/01/2016.
7. The mining will be opencast type and carried out semi mechanized.
8. The ultimate depth of mining will be restricted to 20 mtr/water level, whichever is less.
9. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.

garding the project no litigation is pending in any court.

his project does not attract any of the general conditions applicable on mining project specified in EIA Notification 14/09/2006.

The Project proposal falls under B2 Category of MoEF Notification dated 15/01/2016 and 20/01/2016, Based on the above said project, the District Level Environment Impact Assessment Authority (meetings held on dated 29/04/2016) has decided to grant the Environmental Clearance to this project proposal subject to effective implementation of the following general and specific conditions:

**General Conditions**

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Forest clearance shall be taken by the proponent as necessary under law.
3. Any addition of the mining area, change of Khasra numbers, enhancement of capacity, change in mining technology, modernization and scope of working shall again required prior environmental clearance as per EIA notification, 2006.
4. No change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral and waste shall be made.
5. Mining will be carried out as per the approved mining plan. In case of any violation of mining plan, the Environmental Clearance given by DEIAA will stand cancelled.
6. Four ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for RSPM, SPM, $SO_2$, $NO_x$ monitoring. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board. The monitored data for criteria pollutants shall be regularly up loaded on the company's website and also displayed at website.
7. Data on ambient air quality (RSPM, SPM, $SO_2$, $NO_x$) should be regularly submitted to the Regional office, MoEF, GoI, Lucknow and the State Pollution Control Board/Central Pollution Control Board once in six months.
8. Ambient air quality at the boundary of the mine premises shall confirm to the norms prescribed in MoEF notification no. GSR/826(E) dt. 16.11.2009.
9. Fugitive dust emissions from all the sources shall be controlled regularly. Water spraying arrangement on haul roads loading and unloading and at transfer points shall be provided and properly maintained.
10. Measures shall be taken for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. Workers engaged in operations of HEMM, etc. shall be provided with ear plugs/muffs and health records of the workers shall be maintained.
11. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected, treated so as to conform to the standards prescribed under GSR 422 (E) dated 19th may, 1993 and 31st December, 1993 or as amended from time to time. Oil and grease trap shall be installed before discharge of workshop effluents.
12. Personal working in areas shall be provided with protective respiratory devices like mask and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.

13. Special measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities.

14. The transportations of the materials shall be limited to day hours time only.

15. Provision shall be made for the housing the labourers within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

16. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.

17. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow and State Pollution Control Board regarding date of financial closures and final approval of the project by the Concerned authorities and the date of start of land development work.

18. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies as applicable in the matter.

19. The Project Proponent has to submit half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copy to the DEIAA, SBR. on 1st June and 1st December of each calendar year.

20. The DEIAA may alter/modify the above conditions or stipulate any further conditions in the interest of environment protection.

21. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

**Specific Conditions**

1. Norms of Transport Department/PWD shall be strictly followed during transportation of minerals.
2. haul road shall be made motorable.
3. Forest NOC shall be obtained prior to start of work.
4. Corporate Social Responsibility (CSR) plan along with budgetary provision of 5% of the total cost shall be prepared and approved by Board of Directors of the company. A copy of resolution as above shall be submitted to the authority along with list of beneficiaries with their mobile nos./address.
5. This environmental Clearance does not create or verify any claim of applicant on the proposed site/activity.
6. This environmental clearance shall be subject to valid lease in favour of project proponent for the proposed mining proposals. In case, the project proponent does not have a valid lease, this environmental clearance shall automatically become null and void.
7. The Environmental clearance will be co-terminus with the mining lease period.
8. No two pits shall be simultaneously worked i.e. before the first is exhausted and reclamation work completed, no mineral bearing area shall be worked.

9. After exhausting the first mine pit and before starting mining operations in the next pit, reclamation and plantation works in the exhausted pit shall be completed so as to ensure that reclamation, forest cover and vegetation are visible during the first year of mining operations in the next pit. This process will follow till the last pit is exhausted. Adequate rehabilitation of mined pit shall be completed before any new ore bearing area is worked for expansion.

10. Adequate buffer zone shall be maintained between two consecutive mineral bearing deposits.

11. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.

12. Green belt development shall be carried out considering CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Agriculture Department. Herbs and shrubs shall also form a part of afforestation programme besides tree plantation. The company shall involve local people for plantation Programme. Details of year wise afforestation programme including rehabilitation of mined out area shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow and DEIAA SBR every year.

13. Blast vibration study shall be conducted and a observation report submitted to the the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow and UPPCB within six months. The report shall also include measures for prevention of blasting associated impact on nearby houses and agricultural fields.

14. Controlled blasting techniques with sequential blasting shall be adopted. The blasting shall be carried out in the day time only.

15. Appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mining workers has to be ensured at the mining site.

16. Maintenance of village roads used for transportation of minerals are to be done by the company regularly at its own expenses. The roads shall be block topped.

17. Rain water harvesting shall be undertaken to recharge the ground water source.

18. Status of implementation shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, UP Pollution Control Board and DEIAA SBR within six months and thereafter every year from the next consequent year.

19. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion shall be carried out with geo textile matting or other suitable material, and thick plantation of native trees and shrubs shall be carried out at the dump slopes. Dumps shall be protected by retaining walls.

20. Trenches/garland drains shall be constructed at foot of dumps and coco filters installed at regular intervals to arrest silt from being carried to water bodies. Adequate number of Check Dams and Gully Plugs shall be constructed across seasonal/perennial nallahs, if any flowing through the ML area and silts arrested. De-silting at regular intervals shall be carried out.

21. Garland drain of appropriate size, gradient and length shall be constructed for both mine pit and for waste dump and sump capacity shall be designed keeping 50% safety margin over and above peak sudden rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the area adjoining the mine site. Sump capacity shall also

rovide adequate retention period to allow proper setting of silt material. Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drains and de-silted at regular intervals.

Ground and surface water, if any in and near the core zone (within 5.0 km of the lease) shall be regularly monitored for contamination and depletion due to mining activity and records maintained. The monitoring data shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR regularly. Further, monitoring points shall be located between the mine and drainage in the direction of flow of ground water shall be set up and records maintained.

23. Fugitive dust generation shall be controlled. Fugitive dust emission shall be regularly monitored at locations of nearest human habitation (including schools and other public amenities located nearest to sources of dust generation as applicable) and records submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR regularly.

24. Baseline data for ambient air quality shall be generated and maintained and RSPM level in ambient air in the nearby human habitation (villages) shall also be monitored along with other parameters.

25. Transportation of minerals shall be done by covering the trucks with tarpaulin or other suitable mechanism so that no spillage of mineral/dust takes place.

26. Occupational health and safety measures for the workers including identification of work related health hazards, training on malaria eradication, HIV, and health effects on exposure to mineral dust etc. shall be carried out. Periodic monitoring for exposure to reparable mineral dust on the workers shall be conducted and records maintained including health records of the workers. Awareness programme for workers on impact of mining on their health and precautionary measures like use of personal equipments etc. shall be carried out periodically. Review of impact of various health measures shall be conducted followed by follow up action wherever required.

27. The project proponent will ensure for providing employment to local people as per requirement, necessary protection measures around the mine pit and waste dump and garland drain around the mine pit and waste dump.

28. Top soil/solid waste shall be stacked properly with proper slope and adequate safeguards and shall be utilized for backfilling (wherever applicable) for reclamation and rehabilitation of mined out area. Top soil shall be separately stacked for utilization later for reclamation and shall not be stacked along with over burden.

29. Over burden (OB) shall be stacked at earmarked dump site (s) only and shall not be kept active for long period. The maximum height of the dump shall not exceed 20 m, each stage shall preferably be of maximum 10 m and overall slope of the dump shall not exceed $35^0$. The OB dump shall be backfilled. The OB dumps shall be scientifically vegetated with suitable native species to prevent erosion and surface run off.

30. Monitoring and management of rehabilitated areas shall continue until the vegetation becomes self sustaining. Compliance status shall be submitted to the

Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR on six monthly basis.

31. Slope of the mining bench and ultimate pit limit shall be as per the mining scheme approved by Indian Bureau of Mines.

32. Permission for abstraction of ground water shall be taken from Central Ground Water Board. Regular monitoring of ground and surface water sources for level and quality shall be carried out by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operation. The monitoring shall be carried out four times in a year i.e.-monsoon (April-May), Monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the data thus collected shall be regularly sent to MoEF, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board.

33. The waste water from the mine shall be treated to conform to the prescribed standards before discharging in to the natural stream. The discharged water from the Tailing Dam, if any shall be regularly monitored and report submitted to the Regional Office, Ministry of Environment & Forest, GoI, Lucknow, Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board.

34. Hydro geological study of the area shall be reviewed by the project proponent annually. In case adverse effect on ground water quality and quantity is observed mining shall be stopped and resumed only after mitigating steps to contain any adverse impact on ground water is implemented.

35. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transportation of minerals and others shall have valid permissions as prescribed under Central Motor Vehicle Rules, 1989 and its amendments. The Vehicles transporting minerals shall be covered with a tarapaulin or other suitable enclosures so that no dust particles/fine matters escape during the course of transportation. No overloading of minerals for transportation shall be committed. The trucks transporting minerals shall not pass through wild life sanctuary, if any in the study area.

36. Prior permission from the Competent Authority shall be obtained for extraction of ground water, if any.

37. A final mine closure plan, along with details of Corpus Fund, shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment & Forest, GoI, Lucknow and U.P. Pollution Control Board 5 years in advance of final mine closure for approval.

38. Project proponent shall explore the possibility of using solar energy where ever possible.

39. Commitment towards CSR has to be followed strictly.

40. Regular health chech-up record of the mine workers has to be maintained at site in a proper register. It should be made available for inspection whenever asked.

41. Project Proponent has to strictly follow the directions/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. Agencies from time to time.

42. The blasting will be done only after getting the permission from the Mining-Department.

You are also directed to ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this

...ssion shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ...nership of the proposed site, this permission shall automatically deem to be cancelled.

The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.

The Project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance.

The DEIAA SBR/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if any conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of DEIAA SBR/MoEF. DEIAA SBR may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533 (E) dated 14-09-2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

18.5.16

**(Kailash Singh)**
S.D.M. (Sadar),
Member-Secretary,
DEIAA Sonebhadra, U.P.

No. /Parya/DEIAA/SBR/................../2016 dated as above.

**<u>Copy for information and necessary action to:</u>**

1- The Principal Secretary, Environment, Govt. of U.P., Lucknow.
2- The Principal Secretary, Geology and Mining, Govt. of U.P., Lucknow .
3- Director, Environment, Bibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.
4- Director, Geology and Mining, Lucknow.
5- District Magistrate, Sonebhadra.
6- Divisional Forest Officer, Sonebhadra .
7- Divisional Forest Officer, Kaimur Wild Life, Mirzapur.
8- Additional District Magistrate, Sonebhadra .
9- Sub Divisional Magistrate (Sadar), Sonebhadra.
10- Regional Pollution Control Officer, Sonebhadra.
11- District Mining Officer, Sonebhadra.
12- NIC Sonebhadra to upload on website.

**(Kailash Singh)**
S.D.M. (Sadar),
Member-Secretary,
DEIAA Sonebhadra, U.P.

संलग्नक- 10

# –: संयुक्त जॉच आख्या :–

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–891/एम0–प्रवर्तन सोनभद्र/2020(11) दिनांक 11.01.2022 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र के आदेश पत्र सं0–4921/खनिज/2022 दिनांक 18.01.2022 के द्वारा जनपद– सोनभद्र के तहसील– ओबरा स्थित ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी में संचालित खनन पटटों का भौतिक सत्यापन करने एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में खनन हेतु स्वीकृत अनुमन्य मात्रा से अधिक हुये खनन की जॉच हेतु संयुक्त टीम गठित करते हुये स्थलीय जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुपालन में ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में स्वीकृत/संचालित खनन क्षेत्रों की जॉच/पैमाइस दिनांक 27.01.2022 से 04.02.2022 तक संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :–

**मे0 बी0सी0**एस0 इण्टर प्राइजेज **पा0– श्री चन्द्र** भूषण गुप्ता पुत्र **श्री राम लखन** गुप्ता **निवासी ओबरा, जनपद– सोनभद्र एवं श्री शफीक अहमद** पुत्र **श्री सागीर अहमद निवासी– ओबरा, जनपद– सोनभद्र।**

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पट्टाधारक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में पैमाईश/निरीक्षण की गयी। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बताये गये क्षेत्र का सर्वेक्षक द्वारा जी0पी0एस0/टोटल स्टेशन मशीन के माध्यम से खनन की मात्रा की गणना किया गया। खनन पट्टा क्षेत्र में दो स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया। खनन पट्टे का विवरण एवं जॉच आख्या निम्न प्रकार है :–

| पट्टाधारक का नाम | आराजी सं0 | रकबा (एकड़ में) | पट्टा अवधि | | ई0सी0 में स्वीकृत मात्रा (घ0मी0 प्रति वर्ष) | पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई0 एम0एम0–11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घ0मी0 में) | संयुक्त जॉच आख्या के अनुसार वास्तविक खनन की मात्रा (घ0मी0 में) | खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घ0मी0 में) (8–7) | जी0पी0एस0 रीडिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | दिनांक से | दिनांक तक | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| मे0 बी0सी0एस0 इण्टर प्राइजज | 4419ख, 4419ग, 4422क मि0, 4416क, 7576, 7577ख, 4420मि0 | 4.86 | 26.05.2016 | 25.05.2026 | 1,00,000 | 2,32,066 | क्षेत्रफल x गहराई<br>(1)<br>8820 x 26 = 2,29,320 m³<br>(2)<br>1792 x 8 = 14,336 m³<br>Total<br>**2,43,656 m³** | 11,590 | A- 24°27'47.05" N, 83°1'21.65" E<br>B- 24°27'50.22" N, 83°1'24.64" E<br>C- 24°27'48.08" N, 83°1'26.95" E<br>D- 24°27'47.45" N, 83°1'26.75" E<br>H- 24°27'47.40" N, 83°1'26.37" E<br>F- 24°27'46.61" N, 83°1'26.14" E<br>J- 24°27'46.14" N, 83°1'26.08" E<br>K- 24°27'46.33" N, 83°1'25.77" E<br>L- 24°27'46.36" N, 83°1'25.10" E<br>M- 24°27'46.04" N, 83°1'25.07" E<br>N- 24°27'46.36" N, 83°1'24.64" E<br>O- 24°27'43.97" N, 83°1'23.48" E |

स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य किये गये पिट–1 का जी0पी0एस0 रीडिंग निम्नवत् है :–

| | |
|---|---|
| 1 | 24°27'45.01"N, 83°1'17.30"E |
| 2 | 24°27'44.28"N, 83°1'18.29"E |
| 3 | 24°27'42.60"N, 83°1'18.88"E |
| 4 | 24°27'40.34"N, 83°1'18.03"E |
| 5 | 24°27'40.70"N, 83°1'15.40"E |
| 6 | 24°27'42.38"N, 83°1'14.28"E |
| 7 | 24°27'43.21"N, 83°1'15.34"E |

स्वीकृत क्षेत्र में किये गये खनन पिट का क्षेत्रफल x गहराई

8820 x 26 = 2,29,320.00 घ0मी0

स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य किये गये पिट–2 का जी0पी0एस0 रीडिंग निम्नवत् है :–

| | |
|---|---|
| 1 | 24°27'41.88"N, 83°1'14.16"E |
| 2 | 24°27'40.70"N, 83°1'15.40"E |
| 3 | 24°27'39.21"N, 83°1'14.87"E |
| 4 | 24°27'38.94"N, 83°1'14.54"E |
| 5 | 24°27'40.30"N, 83°1'13.60"E |
| 6 | 24°27'40.80"N, 83°1'13.49"E |

स्वीकृत क्षेत्र में किये गये खनन पिट का क्षेत्रफल x गहराई

1,792 x 8 = 14,336 घ0मी0

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से 2,43,656 घ0मी0 ढोलो स्टोन बोल्डर का खनन/परिवहन किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन का स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न है। जाँच के समय स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगा पाया गया, जिसमें से दो सीमास्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। खनन पट्टा क्षेत्र में बेंच का निर्माण कार्य कर खनन कार्य नही किया जा रहा है तथा गहराई के मानकों का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है।

दिनांक 16.11.2019 से दिनांक 17.11.2019 को प्रश्नगत क्षेत्र की जांच की गयी थी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत 8,175 घन मी0 का अनुमन्य मात्रा से अधिक का खनन किये जाने की आख्या दी गयी थी तथा पुनः दिनांक 21.01.2021 से दिनांक 25.01.2021 को प्रश्नगत क्षेत्र की जांच की गयी थी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत 676 घन मी0 का अनुमन्य मात्रा से अधिक का का खनन किये जाने की आख्या दी गयी थी। इस प्रकार कुल 8,851 घन मी0 खनन किये जाने की आख्या दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा अधिरोपित धनराशि जमा कर दी गयी है। स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2022 तक कुल (2,43,656– 8,851)= 2,34,805 घन मी0 का खनन किया गया गया है, जिसके सापेक्ष पट्टाधारक द्वारा 2,32,066 घन मी0 का ई0 एम0 एम0–11 निर्गत किया गया। पट्टाधारक द्वारा किये गये कुल खनन में से निर्गत किये गये ई0 एम0एम0–11 की मात्रा को घटाने के उपरान्त कुल 2,739 घ0मी0 का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार अवैध खनन किये गये खनिज की मात्रा 2,739 घ0मी0 पर रू0 160/– प्रति घन मी0 की दर से देय रायल्टी रू0 4,38,240/– एवं खनिज मूल्य रू0 21,91,200/– कुल रू0 26,29,440/– देय है।

आख्या सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सर्वेक्षक,
खनिज विभाग, सोनभद्र।

खान निरीक्षक,
सोनभद्र।

खान अधिकारी,
सोनभद्र।

खान अधिकारी,
सोनभद्र।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।

उप जिलाधिकारी,
ओबरा–सोनभद्र।

संलग्नक - 11

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2 — कोषागार प्रपत्र–200(1)

प्रपत्र संख्या–43 ए (1)

(प्रस्तर, 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

(कर्ज एवं अग्रिम अदायगी की धनराशि प्रपत्र संख्या–43 ए (2) द्वारा जमा की जायेगी)

| | |
|---|---|
| उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा | **SBI, Robertsganj** |
| 1–जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता | मे0 बी0सी0एस0 इण्टर प्राइजेज पा0–श्री चन्द्र भूषण गुप्ता पुत्र श्री राम लखन गुप्ता निवासी ओबरा, जनपद–सोनभद्र एवं श्री शफीक अहमद पुत्र श्री सगीर अहमद निवासी–ओबरा, जनपद–सोनभद्र। |
| 2–पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या | |
| 3–जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) | खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 2,739 घन मी0 गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) के अवैध खनन/परिवहन किये जाने पर जिलाधिकारी महोदय के कारण बताओ नोटिस संख्या–6344/खनिज/2022 दिनांक 04.03.2022 के क्रम में अधिरोपित रायल्टी, खनिमुख मुल्य एवं अर्थदण्ड की कुल धनराशि रू0 26,79,440/– में से आंशिक धनराशि रू0 13,50,000/– को जमा किये जाने के सम्बन्ध में |
| 4–जमा की जा रही धनराशि | 13,50,000/– |
| 5–लेखाशीर्ष का पूर्ण विवरण/मुहर<br>0 8 5 3 0 0 8 0 ...<br>0853–अलौह ...<br>00– | 0853 –अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग<br>00 –..........<br>800 –अन्य प्राप्तियां<br>01 –अन्य प्राप्तियां<br>0000 –.......... |

6–लेखाशीर्ष का 13 डिजिट कोड

| मुख्य लेखा शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | ब्योरेवार शीर्ष | धनराशि (अंको में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 8 5 3 | 0 0 | 8 0 0 | 0 1 | 0 0 | 13,50,000/– |
| | | | | योगः– | 13,50,000/– |

**धनराशि (शब्दों में)** रू0 तेरह लाख पचास हजार मात्र।

14/3/2022

धनराशि शीर्ष की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर व मुहर

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

| | | | |
|---|---|---|---|
| चालान संख्याः– | CF00068 | अंको में | 13,50,000/– |
| दिनांकः– | | शब्दों में | |

15 MAR 2022

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उपकोषागार/बैंक की मुहर

GOVT. TRANSFER

शाखा प्रबन्धक

Branch Manager

Robertsganj

सलग्नक - 12

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2 | कोषागार प्रपत्र–200(1)

प्रपत्र संख्या–43 ए (1)

(प्रस्तर, 417 एवं 478 देखिये)

**धनराशि जमा करने का चालान फार्म**

(कर्ज एवं अग्रिम अदायगी की धनराशि प्रपत्र संख्या–43 ए (2) द्वारा जमा की जायेगी)

| | |
|---|---|
| **उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा** | **SBI, Robertsganj** |
| 1–जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता | मे0 वी0री0एस0 इण्टर प्राइवेट पा0–श्री चन्द्र भूषण गुप्ता पुत्र श्री राम लखन गुप्ता निवासी ओबरा, जनपद–सोनभद्र एवं श्री शफीक अहमद पुत्र श्री सगीर अहमद निवासी–ओबरा, जनपद–सोनभद्र। |
| **2–पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या** | |
| 3–जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) | खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 2,739 घन मी0 गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) के अवैध खनन/परिवहन किये जाने पर जिलाधिकारी महोदय के कारण बताओ नोटिस संख्या–6344/खनिज/2022 दिनांक 04.03.2022 के क्रम में अधिरोपित रायल्टी, खनिमुख मुल्य एवं अर्थदण्ड की अवशेष धनराशि रू0 13,29,440/– को जमा किये जाने के सम्बन्ध में |
| 4–जमा की जा रही धनराशि | **13,29,440/–** |
| **5–लेखाशीर्ष का पूर्ण विवरण/मुहर**<br>0 8 5 3 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 | 0853 –अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग<br>00 –............<br>800 –अन्य प्राप्तियां<br>01 –अन्य प्राप्तियां<br>0000 –............ |

6–लेखाशीर्ष का 13 डिजिट कोड

| मुख्य लेखा शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | ब्योरेवार शीर्ष | धनराशि (अंको में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 8 5 3 | 0 0 | 8 0 0 | 0 1 | 0 0 | 13,29,440/– |
| | | | | योगः– | 13,29,440/– |

| धनराशि (शब्दों में) | रू0 | तेरह लाख उन्तीस हजार चार सौ चालीस मात्र। |
|---|---|---|

21/3/2022

धनराशि शीर्ष की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर व मुहर

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

| | | | |
|---|---|---|---|
| चालान संख्याः– | CM00034 | अंको में | 1329440/- |
| दिनांकः– | 22032022 | शब्दों में | |

27 MAR 2022

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उपकोषागार/बैंक की मुहर